[2020] 5 एस. सी. आर 1001

डलेसवार और ए. एन. आर.

वी.

एम. पी. का राज्य (अब छत्तीसगढ़)

(2017 की आपराधिक अपील संख्या 1813)

21 जनवरी, 2020

[ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:

एसएस। 147 , 148 , 302 , 302/149 और 325-के तहत अभियोजन

18 अभियुक्त व्यक्ति-एक व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाने और दूसरे की मौत के लिए-दो अलग-अलग घटनाओं में

-

दोनों घटनाओं के चश्मदीद गवाह-उच्च न्यायालय ने 10 अभियुक्तों को दोषी ठहराया जबकि 8 अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया-दोषी ठहराए गए अभियुक्त व्यक्तियों में से 9 द्वारा अपील और बरी किए गए अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण उच्च न्यायालय निचली अदालत के आदेश की पुष्टि की-दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में से 7 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितः चश्मदीद गवाहों की लगातार गवाही से यह साबित होता है कि अपीलकर्ताओं-1,2,5,7 और 12 ने हथियारों के साथ गैरकानूनी रूप से सभा की और अपराध में शामिल हुए।

हमला-गवाहों की गिनती की पुष्टि खून से सने हथियारों और कपड़ों की बरामदगी से होती है-इसलिए उनकी सजा बरकरार है-हालाँकि, अभियोजन पक्ष अपने मामले को इससे आगे साबित करने में विफल रहा

अपीलार्थियों के विरुद्ध उचित संदेह-अभियुक्त 8 और 13।

अपीलार्थियों द्वारा दायर अपीलों को अनुमति देना-अभियुक्त 8 और 13,

अन्य अपीलार्थियों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1 . यह तथ्य कि वास्तव में एक बड़ी सभा का गठन किया गया था,

मृतक पर एक सभा द्वारा; उन्होंने कम से कम दो हमलावरों का नाम भी लिया। इस प्रकार, हथियारों के साथ एक गैरकानूनी सभा के गठन का तथ्य पूरी तरह से स्थापित है। एक बार गैरकानूनी गठन अपराध करने के समय सभा स्थापित की जाती है, सभा के एक व्यक्तिगत सदस्य की विशिष्ट भूमिका का प्रश्न

द्वितीयक प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे शब्दों में, अभियोजन पक्ष को उस सभा के प्रत्येक सदस्य की ओर से किसी विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान मामले में यह भी संदेह से परे स्थापित किया गया है कि मृतक को काले और नीले रंग में बेरहमी से पीटा गया था और उसके पूरे शरीर पर व्यापक चोटें आई थीं, जिसमें चोट, घाव और विभिन्न हड्डियों और पसलियों के कई फ्रैक्चर शामिल थे। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और चिकित्सकीय राय कि मृतक की मृत्यु लीवर के टूटने और पसलियों के टूटने के सदमे के कारण हुई, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उसके साथ कठोर व्यवहार किया गया था।

बेरहमी से पिटाई के साथ वीभत्स मौत, जिसमें कई उपयोग शामिल हैं

लाठी जैसे धारदार हथियार। इस प्रकार, यह तथ्य कि मृतक को पीट-पीटकर मारने के सामान्य उद्देश्य के साथ एक सभा हुई थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मृत्यु का कारण बनने के तरीके से यह स्पष्ट होता है कि इस तरह की सभा बनाने वाले हमलावरों का इरादा केवल मृत्यु का कारण बनना था और कृत्य केवल उसी इरादे से किए गए थे। [पैरा 14] [1027-ए-एफ]

लालजी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1989) 1 एससीसी 437: [1989] 1 एस. सी. आर. 130; मसाला बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [1964] 8 एस. सी. आर. 133-- पर निर्भर था।

2. कई अभियुक्त व्यक्तियों और कई गवाहों से जुड़े मामलों में, यह सबूत की गुणवत्ता है जो मायने रखती है न कि मात्रा; और यहां तक कि एक गवाह की गवाही भी एक गैरकानूनी सभा के सदस्य के रूप में एक आरोपी की पहचान स्थापित करने के लिए पर्याप्त हो सकती है, लेकिन जब सभा का आकार काफी बड़ा है और कई व्यक्तियों ने घटना को देखा है; और जब एक गवाह सामान्य रूप से गवाही देता है, तो एक से अधिक गवाहों की स्थिरता के परीक्षण को अपनाना उपयोगी होगा ताकि विचाराधीन सभा के सदस्य के रूप में एक आरोपी की पहचान के बारे में किसी भी संदेह को दूर किया जा सके। हालाँकि, अगर निरंतरता की इस तरह की परीक्षा को अपनाया जाता है, तो भी 'घटना का सुसंगत विवरण' की तलाश की जानी चाहिए; और निरंतरता की आवश्यकता को इस तरह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है

यदि प्रत्येक गवाही में अभियुक्त के प्रत्येक नाम की पुनरावृत्ति की खोज की जाए। दूसरे शब्दों में, अभिलेख पर समग्र साक्ष्य की समझ आवश्यक है; और केवल प्रमुखों की गिनती या केवल नामों का पाठ या किसी विशेष गवाह की गवाही में किसी भी नाम को छोड़ना मामले का निर्णायक नहीं हो सकता है। ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों में, यहां तक कि पुष्टि करने वाले तथ्यों और हथियारों की बरामदगी जैसे कारकों की प्रासंगिकता भी है।

या विचाराधीन अपराध से सह-संबंधित कोई अन्य लेख नहीं हो सकता है पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए। [पैरा 15 और 15.1] [1028-सी; 1029-सी-एफ]

सभा के लोगों ने धमकी दी और उन्हें चले जाने के लिए कहा। पीडब्लू-5 ने विशेष रूप से बताया कि ए-1, ए-12, ए-4 और ए-5 वे आरोपी व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरह की धमकी दी और उससे पूछा। दूर जाने के लिए। यहां तक कि शत्रुतापूर्ण गवाह पीडब्लू-9 ने भी विशेष रूप से कहा कि ए-6 और ए-2 ने मृतक पर हमला किया। [पैरा 19] [1031-ई-एच; 1032-ए]

5. की गवाही की उपरोक्त स्थिति में

चश्मदीद गवाह और घटना की प्रकृति, पीडब्लू-5 द्वारा दिया गया विवरण, जिसने विशेष रूप से कई अभियुक्त व्यक्तियों का नाम लिया था, किसी भी दुर्बलता और दोषसिद्धि से पीड़ित प्रतीत नहीं होता है। कुछ अपीलार्थी, जिनके संबंध में कोई उचित संदेह मौजूद नहीं है, उनकी गवाही के आधार पर बनाए रखा जा सकता है क्योंकि अन्य गवाहों की गवाही में सामग्री विवरणों पर इसकी पुष्टि की गई है। [पैरा 20] [1032-बी]

6. जहाँ तक अपीलार्थी ए-1 का संबंध है, यह स्थापित किया गया है कि वह शुरू से ही [2020] 5 एस. सी. आर. का हिस्सा था।

चूँकि वह उन हमलावरों में से था जिन्होंने घटना से पहले की घटना में पीडब्लू-1 धनवरम को गंभीर चोटें पहुंचाईं, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई। चश्मदीद गवाह पीडब्लू-5 ने उसे उन अभियुक्त व्यक्तियों में से एक के रूप में नामित किया जो लोगों पर हमला कर रहे थे। मृतक। गवाह पीडब्लू-2 और पीडब्लू-5 की गवाही में यह भी स्थापित किया गया है कि मृतक को दो व्यक्तियों द्वारा पैरों से घसीटा गया था, जिनमें से एक आरोपी ए-1 था। ऐसा तथ्य कि मृतक

पी. डब्ल्यू.-3 और पी. डब्ल्यू.-4 द्वारा भी कहा गया है कि वास्तव में पैरों से खींचा गया था। प्रत्यक्षदर्शी पीडब्लू-5 ने यह भी कहा कि जब आरोपी व्यक्ति मृतक पर हमला कर रहे थे, तो वह हस्तक्षेप करने के लिए वहां गया था, लेकिन चार आरोपी व्यक्तियों ने उसे धमकी दी थी। पीडब्लू-2 की गवाही में विचाराधीन घटना की घटना और कुछ हमलावरों द्वारा गवाहों को दी गई धमकियों की विधिवत पुष्टि की गई है। इन कारकों के साथ, जांच अधिकारी ने ए-1 से एक टांगिया और एक खून से सना हुआ लुंगी जब्त किया। पी/13)। हालांकि इस आरोपी ने आरोप लगाया कि वह घटना के दौरान मौजूद नहीं था

और उसे गलत तरीके से फंसाया गया था, लेकिन उसकी बहाना याचिका पर कोई विशिष्ट बचाव साक्ष्य नहीं है और न ही इस आरोपी का कोई अन्य विशिष्ट बचाव संस्करण है। तथ्यों के दिए गए समूह में और परिस्थितियों में, यह संदेह से परे स्थापित हो जाता है कि यह अभियुक्त ए-1 उस सभा का सदस्य था जिसने मृतक पर हमला किया और उसकी पिटाई की थी। [पैरा 21.1] [1032-डी-एच]

7. जहाँ तक अपीलार्थी (ए-2) का संबंध है, यह फिर से स्थापित होता है कि वह उन हमलावरों में से था जिन्होंने गंभीर चोटें पहुंचाई थीं।

पीडब्लू-1 को घटना से पहले की घटना में जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई। पीडब्लू-5 ने उसे मृतक पर हमला करने वाली सभा के सदस्यों में से एक के रूप में नामित करने के अलावा, अन्यथा शत्रुतापूर्ण गवाह पीडब्लू-9 ने विशेष रूप से कहा कि

अभियुक्त मृतक पर हमला करने वालों में से एक था। केवल इस गवाह पीडब्लू-9 के लिए अभियोजन मामले के किसी हिस्से के संबंध में शत्रुतापूर्ण मोड़, उसकी पूरी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है, अगर यह विश्वास को प्रेरित करता है। पीडब्लू-9 द्वारा इस अभियुक्त को गलत तरीके से फंसाने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा, पीडब्लू-20, जांच अधिकारी ने इस आरोपी से एक लाठी और एक बनियान जब्त किया (पूर्व वीडियो। पी/14) दोनों में रक्त के धब्बे होते हैं। इस अभियुक्त ने इसी तरह आरोप लगाया कि वह घटना के दौरान मौजूद नहीं था और उसे गलत तरीके से फंसाया गया था, लेकिन उसकी बहाना याचिका पर कोई विशिष्ट बचाव साक्ष्य नहीं है और न ही कोई अन्य विशिष्ट बचाव संस्करण है।

परिस्थितियों की समग्रता में, यह संदेह से परे स्थापित है। कि ए-2 उस सभा का सदस्य भी था जिसने मृतक पर हमला किया और उसकी पिटाई की। [पैरा 21.2] [1033-ए-डी]

पॉलमेली बनाम। तमिलनाडु राज्यः (2014) 13 एससीसी 90: [2014] 6 एस. सी. आर. 420-निर्भर।

8. अपीलार्थी ए-5 के संबंध में, चश्मदीद गवाह पीडब्लू-5 ने उसे मृतक पर हमला करने वाले अभियुक्त व्यक्तियों में से एक के रूप में नामित किया।

इस आरोपी का नाम भी पीडब्लू-5 ने सभा के उन सदस्यों में से एक के रूप में रखा था जिन्होंने गवाहों को जाने की धमकी दी थी। पीडब्लू-2 की गवाही में विचाराधीन घटना की घटना और कुछ हमलावरों द्वारा गवाहों को दी गई धमकियों की विधिवत पुष्टि की गई है। इन कारकों के साथ, पीडब्लू-20, जांच अधिकारी ने इस आरोपी से भी खून से सना लाठी जब्त की (पूर्व वीडियो। पी/16)। हालाँकि इस अभियुक्त ने कहा कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया था, लेकिन उसकी ओर से कोई विशिष्ट बचाव याचिका नहीं थी। तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि वह उस सभा का सदस्य भी था जिसने मृतक पर हमला किया और उसकी पिटाई की। [पैरा 21.3] [1033-ई-एफ]

9. जहाँ तक अपीलार्थी (ए-7) का संबंध है, हालाँकि अन्य गवाहों ने स्पष्ट रूप से उसका नाम नहीं बल्कि चश्मदीद गवाह का उल्लेख किया है।

पीडब्लू-5 ने अपनी पुनः जांच के दौरान विशेष रूप से उसे उन अभियुक्त व्यक्तियों में से एक के रूप में नामित किया जिन्होंने मृतक पर हमला किया था। इस अभियुक्त से लाठी बरामद की गई (पूर्व वीडियो। पी/18) में भी खून के धब्बे थे। डी. डब्ल्यू.-1 ने कहा कि यह आरोपी घटना के दिन दोपहर करीब 1:30 बजे अपनी सिलाई मशीन की मरम्मत कराने गया था। हालाँकि, इस आरोपी के बयान में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत ऐसी कोई याचिका नहीं थी और घटना के समय किसी अन्य स्थान पर इस आरोपी की उपस्थिति को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई ठोस सबूत नहीं है। इस मामले की परिस्थितियों की समग्रता में, उसे संदेह का लाभ देने का कोई कारण नहीं है और इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है कि वह उस सभा का सदस्य भी था जिसने मृतक पर हमला किया था। [पैरा 21.4] [1033-जी-एच; 1034-ए-बी]

10. जहाँ तक अपीलार्थी ए-8 का संबंध है, उसकी दोषसिद्धि का समर्थन करना मुश्किल है। हालांकि एक नाम [2020] 5 एस. सी. आर. में आया है।

पीडब्लू-5 की पुनः जांच, लेकिन विशेष रूप से इस अभियुक्त का नाम नहीं। अभियोजन पक्ष ने यह स्पष्ट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है कि क्या पीडब्लू-5 के बयान के संबंध में कोई विसंगति थी।

किसी अन्य चश्मदीद ने इस आरोपी का नाम मृतक पर हमला करने वाली भीड़ के सदस्यों में से एक के रूप में नहीं लिया है और न ही इस आरोपी का कोई अन्य कार्य रिकॉर्ड पर आया है जो उसे विचाराधीन सभा और घटना के स्थान से जोड़ सकता है। हालांकि इस आरोपी के कहने पर लाठी बरामद की गई (पूर्व वीडियो। पी/19) कथित तौर पर खून के धब्बे लिए हुए थे लेकिन उनकी सजा केवल इस बरामदगी पर आधारित नहीं हो सकती है। अपराध स्थल पर उसकी उपस्थिति के बारे में ठोस और विश्वसनीय सबूत के अभाव में और उसके

मृतक ए-8 पर हमला करने में भागीदारी का अधिकार है सन्देह का लाभ और उसके संबंध में निष्कर्षों को बनाए नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 21.5] [1034-सी-ई]

11. जहाँ तक अपीलार्थी ए-12 का संबंध है, हालाँकि कहा जाता है कि उससे लाठी बरामद की गई है (पूर्व के माध्यम से। पी/27) को खून के धब्बों के साथ नहीं दिखाया गया था और राज्य की ओर से प्रस्तुतियों में यह सुझाव दिया गया है कि उसका नाम किसी भी गवाह द्वारा नहीं लिया गया है, लेकिन फिर, पीडब्लू-5 के बयान से यह पता चलता है कि उसने स्पष्ट रूप से इस आरोपी का नाम उन व्यक्तियों में से एक के रूप में लिया था जिन्होंने गवाहों को धमकी दी थी और अन्य हमलावरों के नाम के साथ पुनः परीक्षा में अपना नाम बताया था। जैसा कि देखा गया है, पीडब्लू-2 की गवाही में विचाराधीन घटना की घटना और कुछ हमलावरों द्वारा गवाहों को दी गई धमकियों की विधिवत पुष्टि की गई है। दी गई परिस्थितियों में, इस अपीलार्थी के खिलाफ मामला कमोबेश उसी आधार पर है जो सह-अभियुक्त ए-1 और ए-5 के खिलाफ है। हालाँकि बचाव में एक गवाह डी. डब्ल्यू.-2 से पूछताछ की गई कि यह आरोपी संबंधित समय पर अपने गाँव में मौजूद था।

और मैदान में था, लेकिन अपने बचाव संस्करण में उसके द्वारा ऐसा कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं लिया गया था। विचारण न्यायालय ने ऐसे साक्ष्य को विचार के बाद और उचित रूप से खारिज कर दिया है। तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है कि ए-12 मृतक पर हमला करने वाली सभा का सदस्य भी था। [पैरा 21.6] [1034-एफ-जी; 1035-ए-बी]

12. जहाँ तक अपीलार्थी ए-13 का संबंध है, यह देखा गया है कि पीडब्लू-5

पुनःपरीक्षा में उसका नाम बताया गया लेकिन फिर, किसी अन्य चश्मदीद गवाह ने उसका नाम मृतक पर हमला करने वाली भीड़ के सदस्यों में से एक के रूप में नहीं लिया और न ही इस आरोपी का कोई अन्य कार्य सामने आया है।

वी. एम. पी. का राज्य (अब छत्तीसगढ़)

अभिलेख पर जो उसे विचाराधीन सभा और घटना स्थल से जोड़ सकता है। इस प्रकार, वहाँ की इच्छा थी

इस अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में अन्य गवाहों द्वारा पीडब्लू-5 के बयान की पुष्टि। कथित हथियार लाठी के बारे में कहा जाता है कि इस आरोपी के कहने पर बरामद किया गया था (पूर्व वीडियो। पी/26) को भी रक्त-दाग ले जाते हुए नहीं दिखाया गया है। हालाँकि इस अभियुक्त ने डी. डब्ल्यू.-3 के रूप में बचाव साक्ष्य का भी नेतृत्व किया।

जिसने यह बयान दिया कि यह अभियुक्त दूसरे गाँव में था और लगभग 5.00-5:30 बजे अपने गाँव से चला गया और दोनों गाँवों की दूरी लगभग 15 किलोमीटर थी, लेकिन फिर, उसकी गवाही में तारीखों और समय के बारे में विसंगतियाँ थीं और इस अभियुक्त द्वारा अपने बचाव संस्करण में ऐसी कोई विशिष्ट दलील नहीं ली गई थी। हालाँकि, भले ही उसके संबंध में बचाव साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाता है, फिर भी एक उचित संदेह बना रहता है कि क्या यह

अभियुक्त विचाराधीन सभा का हिस्सा था। दी गई परिस्थितियों में, ए-13 भी संदेह के लाभ का हकदार है। [पैरा 21.7] [1035-सी-एफ]

13. सारांश में, अपीलकर्ता ए-1, ए-2 की भागीदारी,

ए-5, ए-7 और ए-12 विधानसभा के सदस्यों के रूप में, जिन्होंने मृतक पर हमला किया और उसे पीट-पीटकर मार डाला, रिकॉर्ड में स्थापित है और

उनके निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है

दृढ़ विश्वास। हालाँकि, अभियोजन पक्ष अपीलार्थी ए-8 और ए-13 के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और वे संदेह के लाभ के हकदार हैं। दी गई स्थिति पर

अभिलेखों के अनुसार, अभियुक्त व्यक्ति ए-4 और ए-6 जिन्होंने अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील नहीं की है, वे भी उसी सभा का हिस्सा हैं जिस पर हमला किया गया और पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार, अभियुक्त अपीलार्थी ए-1, ए-2, ए-5, ए-7 और ए-12 को धारा के तहत अपराधों के लिए अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।

147,148 , 302/149 ; और इन अभियुक्त अपीलार्थियों द्वारा दायर अपील खारिज किए जाने के योग्य हैं। हालाँकि, अभियोजन पक्ष अभियुक्त-अपीलार्थी ए-8 और ए-13 के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, जो संदेह के लाभ पर बरी होने के योग्य हैं। [पारस 22,23 और 25] [1035-जी-एच; 1036-ए, जी; 1037-डी-ई]

चंद्रशेखर बिंद और ओआरएस। वी. बिहार राज्य आकाशवाणी

2001 एससी 4024: [2001] 3 पूरक। एस. सी. आर. 658; राजस्थान बनाम. शीशपाल आकाशवाणी 2016 एससी 4958 [2016] 8 [2020] 5 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. सी. आर. 380; लाला राम (डी) के माध्यम से दुली चंडी बनाम। राज्य

हरियाणा का (1999) 9 एस. सी. सी. 525; [1999] 3 सप्लीमेंट। एससीआर 435 ; कल्लू वी। मध्य प्रदेश राज्य (2006) 10 एससीसी

313 [2006] 1 एस. सी. आर. 201; मदन सिंह बनाम की स्थिति

राजस्थान (1978) 4 एस. सी. सी. 435-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2001] 3 पूरक। एससीआर 658

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

[2016] 8 एससीआर 380

पैरा

10

संदर्भित किया गया है

उस पर भरोसा करें

[2014] 6 एससीआर 420

पैरा

11

[1999] 3 पूरक। एससीआर 435

संदर्भित किया गया है

पैरा

11

[2006] 1 एससीआर 201

संदर्भित किया गया है

पैरा

11

(1978) 4 एससीसी 435

संदर्भित किया गया है

पैरा

11.1

[1989] 1 एससीआर 130

उस पर भरोसा करें

पैरा

11.2

[1964] 8 एससीआर 133

उस पर भरोसा करें

पैरा

15

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक एपी

2017 का सं. 1813।

उच्च न्यायालय के 12.09.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1999 की आपराधिक अपील सं. 3336 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 1815 और 2017 का 1814। राज किशोर चौधरी, शकील अहमद, अनुपम भाटी, एन.

चौधरी, सुकुमार, फैजान अली, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

निशांत पाटिल, चिराग जैन, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

संक्षिप्त रूपरेखा के साथ परिचयात्मक

1. ये तीन अपीलें आम न्यायाधीश के खिलाफ निर्देशित हैं।

और 12.09.2014 दिनांकित आदेश, जैसा कि बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 3336/1999 में पारित किया गया है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अदिती द्वारा 26.11.1999 दिनांकित निर्णय और आदेश को बरकरार रखा है।

सत्र न्यायाधीश, धमतरी, छत्तीसगढ़ एस. टी. सं. 114/1999, कॉन्विक डुलेश्वर और ए. एन. आर. में।

वी. एम. पी. का राज्य (अब छत्तीसगढ़) [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

और भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 147,148,302/149 और 325 के तहत दंडनीय अपराधों सहित कई अपराधों के लिए अभियुक्त-अपीलार्थियों को सजा देना।

2. भौतिक पहलुओं की एक संक्षिप्त रूपरेखा में, यह देखा जा सकता है कि वर्तमान मामले में, सात अपीलार्थी अभियुक्त हैं।

नं. 1,2,5,7,8,12 और 131 पर हुई दो घटनाओं से संबंधित अपराधों के लिए कई अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मिलकर मुकदमा चलाया गया गाँव कोडबोद, पुलिस स्टेशन कुरुद, जिला धमतरी (एम. पी.-अब छत्तीसगढ़) में 15.10.1998: लगभग 4:30-5 बजे, जिसमें अभियोजन गवाह संख्या 1 धनवरम 2 को गंभीर चोटें आईं। और

दूसरा शाम करीब 5:30 बजे, जिसके कारण एक गोविंद सिंह की मौत हो गई। इस मामले में जिन 18 अभियुक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, उनमें से 8 को निचली अदालत ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद बरी कर दिया कि उनके खिलाफ आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं हुए थे। हालांकि, भरोसाराम

(ए-1), दुलेश्वर (ए-2), चिंताराम (ए-4) और विवेकानंद (ए-9) को आई. पी. सी. की धारा 325 के तहत गंभीर अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था।

पीडब्लू-1 धनवरम को चोट लगी। इसके अलावा, भरोसाराम (ए-1), दुलेश्वर (ए-2), चिंताराम (ए-4), भंजन सिंह (ए-5), खेमराज (ए-6), केशव प्रसाद (ए-7), खेमुरम (ए-8), नंद कुमार (ए-12) और लखन।

आईपीसी की धारा 302/149 के तहत अपराध। विवेकानंद (ए-9) 3 को छोड़कर, अन्य 9 अभियुक्त व्यक्तियों ने उनके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की। दोषसिद्धि और सजा। शिकायतकर्ता द्वारा शेष अभियुक्त व्यक्तियों को बरी किए जाने के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका भी दायर की गई थी। द.

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया और इसलिए अपील के साथ-साथ पुनरीक्षण याचिका को भी खारिज कर दिया और इस तरह, निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की। उच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत,

1 अभियुक्त सं। 2 और 12 2017 की आपराधिक अपील संख्या 1813 में अपीलार्थी हैं; अभियुक्त सं। 1 , 8 और 13 2017 की आपराधिक अपील संख्या 1814 में अपीलार्थी हैं; और अभियुक्त सं। 5 और 7 2017 की आपराधिक अपील संख्या 1815 में अपीलार्थी हैं। इसके बाद, संबंधित अपीलार्थियों और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को ए-1, ए-2 और अन्य के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

2 इसके बाद अभियोजन गवाहों को पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 आदि के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। 3 विवेकानंद (ए-9) को केवल आई. पी. सी. की धारा 325 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और घटना की तारीख को नाबालिग पाए जाने के कारण उन्हें एक साल और तीन महीने की कम सजा सुनाई गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भरोसाराम (ए-1), दुलेश्वर (ए-2), भंजन सिंह (ए-5), केशव प्रसाद (ए-7), खेमुरम (ए-8), नंद कुमार (ए-12) और

लखन (ए-13) ने इन अपीलों को प्राथमिकता दी है। तथापि, अन्य दोषी सह-अभियुक्त की ओर से ऐसी कोई अपील नहीं की जाती है, अर्थात्:

चिंताराम (ए-4) और खेमराज (ए-6)।

2.1 . अनिवार्य रूप से, इन अपीलों में धारा 302/149 के तहत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि पर सवाल उठाया गया है और चुनौती का प्रमुख आधार यह है कि उनकी भागीदारी के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है विचाराधीन अपराध में। आसपास के कारकों से संबंधित अन्य तर्कों के अलावा इन अपीलों में अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य की विश्वसनीयता पर भी हमला किया गया है। इन अपीलों में निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक तथ्यों और पृष्ठभूमि पहलुओं पर ध्यान दिया जा सकता है।

प्रासंगिक तथ्य और पृष्ठभूमि

हथियार और उसे चोट पहुँचाई। पार्वती बाई (पीडब्लू-6), जो वहाँ से गुजर रही थीं, ने आरोपी व्यक्तियों को धनवरम पर हमला करते देखा; वह चिल्लाते हुए दौड़ी और मृतक के बेटे खिलावन (पीडब्लू-7) को उस घटना के बारे में सूचित किया जो उसने देखी थी। खिलावन घटना स्थल पर गया राम ध्रुव (पीडब्लू-17) ने धनवरम को जमीन पर बेहोश पड़ा पाया। खिलावन और राम ध्रुव धनवरम को घर ले गए। धनवरम पर हमला करने के बाद आरोपी लोग गोविंद सिंह की तलाश में चले गए।

धनवरम के भाई। 3.1 . अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसी दिन यानी आई. डी. 1 को शाम करीब 5:30 बजे एक और घटना हुई जिसमें भरोसाराम, चिंताराम, खेमराज, भंजन सिंह, खेमुराम और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने काली पुल के पास गोविंद सिंह पर हमला किया और उसे अलग-अलग चोटें पहुंचाईं। जब संतोष कुमार (पीडब्लू-2) और प्रह्लाद

यादव (पीडब्लू-5) ने मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, उन्हें कुछ अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दूर रहने की धमकी दी गई और अन्यथा, उन्हें भी हटा दिया जाएगा; और इसलिए, वे पीछे हट गए। बिनि उनाव, दुलेश्वर आरो ए. एन. आर.।

अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक को उसके पैरों से घसीटा जबकि अन्य उसे हथियारों से पीटते रहे; मृतक को नहर की ओर एक दूर की जगह पर घसीटा गया, जहाँ उसने दम तोड़ दिया। 4

3.2 . घटना से संबंधित रिपोर्ट खिलावन (पीडब्लू-7) द्वारा पुलिस को शाम लगभग 7 बजे दी गई, जिन्होंने उपरोक्त घटना सुनाई।

और आरोप लगाया कि एक जीप किराए पर लेने और खोज करने के बाद, उन्हें अपने पिता का शव काली नहर के पार मिला, जिसके सिर, चेहरे, नाक और पूरे शरीर पर कई घाव थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मुकेश निर्मलकर, दुलेश्वर, चिंताराम, भंजन, खेमराज, केशव प्रसाद, खेमुरम, भरोसाराम, विवेकानंद, वासुदेव, चेमानंद, गरीबराम और कुछ अन्य लोगों ने अपने पिता को लाठी डंडे से पीटा।

गोविंद सिंह और चाचा धनवरम के कारण गोविंद सिंह की मौत हो गई और धनवरम गंभीर रूप से घायल हो गए। इस रिपोर्ट पर, एफ़. आई. आर. सं. 186/1998 दर्ज की गई और जाँच शुरू की गई।

विशेष न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि मामले को विशेष अदालत में आगे नहीं बढ़ाया जाना था। इसके बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धमतरी के न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया था; और सत्रों में विचारणीय मामला होने के कारण, वही था 4 ऐसा प्रतीत होता है कि उसी दिन और लगभग उसी समय, लेकिन गोविंद सिंह की मृत्यु की घटना से पहले, मृतक गोविंद सिंह और मंगलराम (ए-14) से जुड़ी एक और घटना हुई थी। टीकुराम यादव (पीडब्लू-16) के बयान के अनुसार, मृतक गोविंद सिंह मंगलराम (ए-14) की साइकिल पर हाथ और सिर पर चोटों के साथ शाम करीब साढ़े चार बजे अपने खेत में आया और पीडब्लू-16 द्वारा पूछे जाने पर मृतक ने उसे बताया कि मंगल पटवारी (ए-14) ने उस पर तलवार से हमला किया था। दूसरी ओर, मंगलराम (ए-14) ने पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि गोविंद राम ने उस पर तलवार से हमला किया। इस रिपोर्ट पर एफ. आई. आर. सं. 185/1998 दर्ज की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सत्र न्यायालय, रायपुर के प्रति समर्पित और अंततः 1999 के एस. टी. सं. 114 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धमतरी के न्यायालय में मुकदमा चलाया गया।

4. मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 21 गवाहों से पूछताछ की।

पीडब्लू-1 धनवरम (घायल); पीडब्लू-2 संतोष कुमार, पीडब्लू-3 भुवन, पीडब्लू-4 राजेश, पीडब्लू-5 प्रह्लाद यादव, पीडब्लू-9 हीराधर और पीडब्लू-16 टीकुराम यादव गोविंद सिंह के हमले के कथित गवाह/चश्मदीद गवाह के रूप में; पीडब्लू-6 पार्वती बाई, धनवरम के हमले की चश्मदीद गवाह के रूप में; पीडब्लू-7 खिलावन (मुखबिर); पीडब्लू-8 दौलाल, पीडब्लू-10 नंद कुमार और पीडब्लू-11 भगतराम, कहा जाता है कि टीकुराम के खेत में काम करने वाले मजदूर थे जिन्होंने कथित तौर पर हमले से पहले मृतक गोविंद सिंह को घायल हालत में देखा था।

कुछ गवाहों में से; पीडब्लू-20V.S। ऊर्मलिया, जाँच अधिकारी; और पीडब्लू-21 डॉ. वी. चटर्जी, जिन्होंने घायल धनवरम की जाँच की और उनकी चोट की रिपोर्ट तैयार की।

सबूत

5. आग्रह की गई दलीलों और इसमें शामिल प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, हम साक्ष्य के प्रासंगिक पहलुओं पर संक्षेप में ध्यान दे सकते हैं - इस मामले में भौतिक गवाहों से पूछताछ की गई।

5.1 . घायल गवाह पीडब्लू-1 धनवरम ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हुए अन्य बातों के साथ कहा कि वह लोगों की पिटाई का शिकार हो गया। केदार, मंगल, खेमराज, दुलेश्वर, विवेकानंद और भरोसा। पीडब्लू-6 पार्वती बाई, धनवरम पर हमले की चश्मदीद गवाह ने कहा कि आरोपी मंगल, गरीब, चिंताराम, भंजन, भरोसा, नारद, केशव, लक्ष्मण और उनके बेटों और बेटी ने पीडब्लू-1 धनवरम पर हमला किया।

5.2 . पीडब्लू-2 संतोष कुमार, उस घटना के चश्मदीद गवाह, जहाँ गोविंद सिंह पर हमला किया गया था, ने कहा कि वह और अंगद, भुवन सिंह

(पीडब्लू-3), राजेश (पीडब्लू-4) और प्रह्लाद यादव (पीडब्लू-5) घटना स्थल के पास मौजूद थे, जहां आरोपी व्यक्ति डंडा से लैस थे। तंगिया आदि, मृतक गोविंद सिंह के साथ बहस करने लगे। और कब

5 यह देखा जा सकता है कि पीडब्लू-8, पीडब्लू-9, पीडब्लू-13 और पीडब्लू-14 को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था।

डलेसवार और ए. एन. आर. वी. एम. पी. का राज्य (अब छत्तीसगढ़) [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

गवाहों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, उन्हें आरोपी व्यक्तियों द्वारा दूर रहने की धमकी दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भरोसा और चिंताराम को हिरासत में लिया गया था मृतक के दोनों पैर और उसे नहर की ओर घसीटते हुए ले गए, जबकि अन्य आरोपी व्यक्ति उसे पीटते रहे। पीडब्लू-2 की गवाही का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः -

" ..... उस समय लगभग 17-18 आरोपी व्यक्ति नहर से आए थे।

एक तरफ। सभी के हाथों में डंडा था। किसी ने कुल्हाड़ी भी ले रखी थी। मैंने कोई और हथियार नहीं देखा। वे आए और गोविंद सिंह से बहस करने लगे। अभियुक्तों में से कोई

व्यक्ति ने कहा कि चाचा पर हमला किया गया और झगड़ा किया गया। उन्होंने हमें चले जाने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि गोविंद सिंह को होना था

मारा गया, जिस पर मेरे साथ खड़े सभी लोग चले गए

इसके बाद सभी अभियुक्तों ने मिलकर लाठी से हमला करना शुरू कर दिया। हमले के कारण गोविंद सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। शुरुआत में हमने हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी लेकिन बाद में हमने हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की। भरोसा राम और चिंता ने गोविंद के दोनों पैर पकड़ लिए और उसे घसीटा, अन्य लोग थे उसे मारना।

5.3 . पीडब्लू-3 भुवन ने कहा कि आरोपी व्यक्ति उनके पास आए।

कोडबोद नहर, पुलिया के पास रुका और गोविंद सिंह के बारे में पूछा; और हालाँकि उन्होंने जानकारी की कमी व्यक्त की, लेकिन आरोपी व्यक्तियों ने गोविंद सिंह को पुलिया के पास देखा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस गवाह ने आगे कहा कि उक्त हमले के दौरान, जब गोविंद नीचे गिर गया, तो उसे पैर पकड़कर घसीटा गया और घसीटा जा रहा था, अन्य आरोपी व्यक्ति उसे पीटते रहे। जिरह में, इस गवाह ने कहा कि वह अभियुक्त व्यक्तियों के नाम नहीं जानता था और उसने उनके नाम का खुलासा नहीं किया था।

पुलिस के नाम न ही बता सके कि किस हिस्से पर हमला किया गया मृतक। पीडब्लू-3 की गवाही का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः -

..... मैं पुलिया के पास था, 5 बज रहे थेः 00 शाम को संतोष, प्रह्लाद, राजेश और नंदलाल भी मेरे साथ थे। उस समय आरोपी

व्यक्ति कोडबोडे नहर की ओर आया और पुलिया के पास रुका। उन्होंने मुझसे गोविंद का पता पूछा। मैंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। उसी समय उन्होंने गोविंद को पुलिया के पास देखा। वे गोविंद की ओर भागे और उस पर हमला करने लगे। सभी अभियुक्तों के हाथ में लाठी थी। वे गोविंद पर लाठी से ही हमला कर रहे थे। हमले के कारण गोविंद गिर गया [2020] 5 एस. सी. आर.

नीचे, उस समय दो लोगों ने उसका पैर पकड़कर घसीटा

उसे नहर की ओर, दूसरे उसे पीटने जा रहे थे।

XXX क्रॉस-परीक्षा

मुझे किसी भी आरोपी का नाम नहीं पता है। मुझमें

पुलिस के बयान में मैंने किसी भी आरोपी का नाम नहीं बताया। मृतक के किस हिस्से पर हमला किया, मैं कर सकता हूँ

न बताएँ। यह सच है कि मैंने अपने पुलिस बयान में कहा था कि 20-25 लोग लाठी लेकर आए।

5.4 . पीडब्लू-4 राजेश ने बताया कि घटना की तारीख शाम को नहर में मछली पकड़ने के दौरान उसने झगड़े की आवाज सुनी, जिसके बाद उसने

नहर की सीमा पर चढ़ गए और देखा कि लोग गोविंद सिंह पर हमला कर रहे थे; दो लोग गोविंद सिंह को नहर के पार पैरों से घसीट रहे थे, जबकि अन्य लोग उन्हें पीटते रहे; एक या दो लोग तंगिया ले जा रहे थे और बाकी लाठी पकड़े हुए थे। गवाह ने यह भी कहा

कि संतोष और प्रह्लाद हस्तक्षेप करने गए लेकिन उन्हें हस्तक्षेप नहीं करने के लिए कहा गया। इस गवाह ने जिरह में आगे कहा कि वह अभियुक्त व्यक्तियों के नाम नहीं जानता था और उसने हस्तक्षेप नहीं किया था।

5.5 . प्रह्लाद यादव, जिसकी जांच पीडब्लू-5 के रूप में की गई है, इस मामले में स्टार गवाह है जिसने गोविंद सिंह पर हमले की घटना का वर्णन किया और विशेष रूप से कुछ अभियुक्त व्यक्तियों के नाम बताए। भौतिक गवाह होने के नाते, जिसकी गवाही ने काफी हद तक दोषसिद्धि का आधार बनाया है, उसके बयान के भौतिक भागों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार निकाला जा सकता हैः

15.10.98 को शाम 5.20 बजे। मैं कुल्ली पुल के पास था। संतोष, हीराधर, भुवन, नंदलाल और राजेश मेरे साथ थे। उसी समय आरोपी व्यक्ति नहर और सड़क के किनारे आ गए। गोविंद सिंह भी कुल्ले पुल के पास खड़े थे। अभियुक्तों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। वे कह रहे थे कि

गोविंद सिंह लड़ाई के बाद आ गए हैं। उसे मार दिया जाना चाहिए।

और उन पर हमला करने लगे। सभी अभियुक्तों को ले जाया गया

लाठी। उन्होंने डंडा से हमला किया। जब मैं वहाँ गया और उन्हें लड़ने से मना किया। उन्होंने लड़ना बंद कर दिया। इसके बाद, भरोसा, नंद, चिंता, भंजन मेरे पास आए और कहा, "तुम चले जाओ अन्यथा तुम मारे जाएँगे" फिर मैं वहाँ से चला गया।

गोविंद सिंह गिर गया, भरोसा ने उसका एक पैर पकड़ लिया और

चिंता ने एक और पैर पकड़ा, वे गोविंद को घसीटते हुए कोडबोडे ले गए

नहर से और अन्य लोग उसे पीटते हुए जा रहे थे। मैंने पीछा किया।

उन्हें कुछ दूरी से। अभियुक्त व्यक्तियों ने दुलेश्वर और ए. एन. आर. को घसीटा।

वी. एम. पी. का राज्य (अब छत्तीसगढ़) [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

2 किलोमीटर के लिए गोविंद सिंह। इसके बाद मैं घर लौट आया। गोविंद

सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। XXX क्रॉस-परीक्षा

" ..... मंगल को छोड़कर, मैंने घटना के समय सभी आरोपी व्यक्तियों को देखा। यह सच है कि काली मोड़ ढाई किलोमीटर है। कोडबोड से दूर। टीकाराम का गोदाम डेढ़ किलोमीटर लंबा है। काली से दूर

घूमते हैं। यह कहना गलत है कि भरोसा और चिंता द्वारा पैर से खींचने का मामला मेरे द्वारा गलत तरीके से कहा जा रहा है। लाठियों ने मृतक को एक बार मारा था, इसलिए मैं यह नहीं बता सकता कि किस आरोपी ने उसे किस हिस्से पर मारा था। मैंने 7-8 लोगों के नाम बताए। 10 मिनट तक झगड़ा चलता रहा। मैंने घटना का समय और तारीख लिख ली। वर्तमान में यह मेरे पास नहीं है। यह कहना गलत है कि आज मुझे बयान पढ़ा दिया गया। घटना के समय संतोष और मैंने उन्हें लड़ने से मना कर दिया था। आरोपी व्यक्ति पूरी तरह से कैली ब्रिज पर पहुँच गया।

लेकिन वे अलग दिशा से आए थे।

पुनः जाँच " मैंने भरोसा, चिंता, भंजन, गरीब, लखन, खेमराज, हेमू, केशव और नंद के नाम बताए। मैं शेष अभियुक्त व्यक्ति को चेहरे से पहचानता हूँ। मैं ऐसे लोगों को केवल नाम से जानता हूं।

XXX पुनः-प्रतिपरीक्षा

मुझे नहीं पता कि चिंताराम, केशव नाम के और लोग हो सकते हैं या नहीं। मुझे पता है कि केशव दर्जी है लेकिन मैंने यह नहीं कहा

पुलिस।

मेरा पुलिस बयान दर्ज करने के समय एक्स-डी/5 मैंने कहा कि आरोपी व्यक्ति घटना स्थल पर आए थे।

अलग दिशा में। मैं यह नहीं बता सकता कि कौन से आरोपी किस दिशा से आए थे। गवाह ने स्वयं कहा कि सभी

आरोपी लोग घटना स्थल पर जमा हो गए। यह सच है कि मेरा खेत चिंताराम और गरीब राम के मैदान से सटा हुआ है। यह कहना गलत है कि मैं खरीदना चाहता हूँ।

इसलिए मैं उनके क्षेत्रों को शामिल कर रहा हूं।

5.6 . पीडब्लू-9 हीराधर ने अभियोजन पक्ष की कहानी को आंशिक रूप से सुनाया लेकिन पूरे अभियोजन मामले को शामिल किया और इसलिए, उसे शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया। कभी भी, शत्रुतापूर्ण घोषित होने से पहले, इस गवाह ने, अन्य बातों के साथ, कहाः

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" मैं अदालत में मौजूद अभियुक्तों को जानता हूं। मैं मृतक गोविंद सिंह को भी जानता हूं। ..... मैं काली ब्रिज के पास एक होटल में खेडुराम के साथ चाय पी रहा था। उस समय कोडे बोडे के रहने वाले अंगद साहू वहाँ आए और मुझसे पूछा कि क्या मैंने गोविंद को देखा। मैंने उससे कहा कि मैंने उसे नहीं देखा है। उसी क्षण मैंने देखा कि गोविंद कहीं से आया था और वहाँ खड़ा था। में।

उस समय मैं गोविंद के पास गया और बताया कि अंगद

उसकी खोज करते हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनके कपड़ों पर खून देखकर मैंने उनसे पूछा कि उनके कपड़ों पर खून कैसे लगा था।

क्या हुआ? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

जिस क्षण संतोष सतनामी आया और गोविंद सिंह के सामने खड़ा हो गया, प्रह्लाद भी वहाँ आ गया। जब हम उस समय वहाँ खड़े थे तो मेरे गाँव के रहने वाले आरोपी वहाँ पहुँच गए। मैंने खेमराज से पूछा कि क्या हुआ, फिर खेमराज।

बताया कि गोविंद आया है, वह पटवारियों, दुलेश्वर, को पीट रहा है।

पटवारियों के बेटे ने भी यही कहा। संतोष और प्रह्लाद

यह कहते हुए कि "हम नहीं रोकेंगे", उन्हें यहाँ कुछ भी करने से रोकने के लिए कहा गया और आरोपी आगे बढ़ गए। खेमराज और

दुलेश्वर ने गोविंद को एक-दो बार लाठी मारी जिससे वह धरती पर गिर गया। यह देखकर मैं डर गया और दुकान में मौजूद खेडुराम के पास चला गया। उन्होंने कहा कि चलो यहाँ से चले जाएँ और तुरंत हम वहाँ से चले गए। इसके बाद,

XXXCross-अभियुक्त के लिए जाँच ..... मैंने गोविंद से अंगद द्वारा पूछताछ किए जाने का मामला बताया।

मैंने पुलिस को खेमराज द्वारा बताए जाने का मामला बताया और दुलेश्वर गोविंद सिंह द्वारा पटवारियों को पीटने के बारे में और

गोविंद सिंह ने पुलिस पर लाठी चलाई। अगर पुलिस ने मेरे बयान के अनुसार बयान दर्ज नहीं किया तो मैं कारण नहीं बता सकता। मैंने वहाँ मंगलराम, नारद, लक्ष्मण और केदार को नहीं देखा। मैंने किया। यहाँ तक कि लखन को भी मारपिट करते हुए नहीं देखा। ..... '

5.7 . पीडब्लू-16 टीकुमाराम यादव ने कहा कि लगभग 4 बजेः 30 गोविंद 1 मंगल पटवारियों और दुलेश्वर और ए. एन. आर. की साइकिल पर शाम को अपने खलिहान में आया।

उन्होंने गोविंद सिंह के व्यक्तियों पर चोटें देखी जिन्होंने कहा कि मंगल पटवारियों ने उन पर तलवार से हमला किया था। इस गवाह के अनुसार, गोविंद सिंह ने दो सौ रुपये की मांग की जो उसने नहीं दी और उसके बाद, गोविंद सिंह बस स्टैंड की ओर बढ़े। गवाह ने आगे कहा कि बाद में, उसने गोविंद सिंह पर हमले को दूर से देखा और इसलिए, वह हमलावरों को पहचान नहीं सका; और बाद में, उसे अपने इलाके से पता चला कि मृतक गोविंद सिंह पर भरोसा, चिंता, गरीब और उनके दोस्तों ने हमला किया था।

5.8 . पीडब्लू-8 दौलाल, पीडब्लू-10 नंद कुमार और पीडब्लू-11 भगतराम ने कथित हमले के बाद गोविंद सिंह को घायल अवस्था में देखा।

उस पर मंगलराम। पीडब्लू-13 पुनारद राम और पीडब्लू-14 रेशमलाल एक्स. पी./13 से पी./27 में जब्ती कार्यवाही के गवाह रहे हैं। उन्हें शत्रु घोषित कर दिया गया। अपने हस्ताक्षर एक्स. पी./13 से पी./27 को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें डंडे आदि दिखाए गए थे, लेकिन उनसे नहीं कहा गया था।

जिन्हें पकड़ लिया गया।

मृतक गोविंद सिंह के व्यक्ति पर चोटों के बारे में रिपोर्ट करें यह निम्नानुसार था -

" 1. छाती पर दो चोटें जैसे प्रत्येक के चेन मार्क का आकार

(a) 5 "× 1" (b) 4 "× 1"। 2. पेट पर संदूषण का रंग भूरा काला आकार का होता है।

उनमें से (ए) दो चोटों का आकार 5 "x 1" (बी) दो का आकार

संदूषण 3 "x 1⁄2" अनुप्रस्थ (सी) दो संदूषण आकार

3 " x 1/2 "अनुप्रस्थ (d) एक संदूषण आकार 8" x 1 "ऊर्ध्वाधर। 3. सही चीज़ के रंग के मध्य पहलू पर विवाद

काले भूरे रंग के आकार (ए) 7 "x 1⁄2" (बी) 5 "x 2" (सी) 2 "x 1/2" (डी) 2 "× 1⁄2" 4. घातक पहलू, सही चीज़, काले भूरे रंग पर विवाद

रंग। 5. घुटने के आकार 4 "× 2" काले रंग के सामने के भाग पर चोटें

भूरा रंग।

6. बायीं ओर दूसरे और तीसरे पैर के अंगूठे के आधार पर घाव 1 से. मी. x 1⁄2 से. मी. x 1⁄2 से. मी. थक्का हुआ रक्त + +

7. बाएं घुटने के सामने के आकार 1 सेमी x 1 सेमी पर संदूषण।

20] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. बाईं कलाई के आकार पर घाव 1 "x 2" × 1⁄2 "हड्डी का गहरा फ्रैक्चर निचले तीसरे त्रिज्या अल्ना बाईं ओर। 9. फ्रैक्चर प्रॉक्सिमल फालेंक्स इंडेक्स और बीच की उंगली बाईं ओर और फ्रैक्चर दूसरी और चौथी मेटाकार्पल हड्डी बाईं ओर।

10. संदूषण पृष्ठीय पहलू अग्रभुजा आकार 1 "× 1" और घर्षण

बाईं कोहनी के पीछे का आकार 4 सेमी x 4 सेमी।

11. प्रत्येक 1 सेमी x 1 सेमी x 1 सेमी के पृष्ठीय पहलू दाहिने कलाई के आकार पर दो घाव। फ्रैक्चर निचला तीसरा त्रिज्या। 12. निकटवर्ती फालेंक्स मध्य और अनामिका उंगली को तोड़ें और

दूसरे और तीसरे मेटाकार्पल दाहिने अल्ना का फ्रैक्चर।

13. घर्षण पृष्ठीय पहलू कोहनी आकार 5 सेमी x 4 सेमी रंग

गुलाबी भूरे रंग का।

15. दाहिने तरफ के चेहरे पर गाल के आकार 3 सेमी x 1 सेमी पर घाव। 16. संदूषण बाईं ओर चेहरे का आकार 3 सेमी x 2 सेमी रंग काला

भूरा रंग।

17. घाव नाक के मध्य भाग का आकार 3 सेमी × 1⁄2 सेमी ×

1/2 से. मी. नाक की हड्डी का टूटना।

18. खोपड़ी के दाहिने पार्श्विका क्षेत्र के आकार पर घाव 3 ″ × दाहिने पार्श्विका हड्डी पर 1⁄2 "× 1⁄2" लाइनर फ्रैक्चर।

इस गवाह ने राय दी कि मृत्यु का कारण सदमा था, जो अचानक यकृत के टूटने और दाएँ और बाएँ पक्षों की पसलियों के टूटने के कारण हो सकता है; और यह कि मृत्यु प्रकृति में हत्या थी।

6. दूसरी ओर, अभियुक्त व्यक्तियों ने धारा 313 के तहत अपने बयानों में विचाराधीन अपराध में अपनी संलिप्तता से इनकार किया।

आपराधिक प्रक्रिया, 1973 (सी. आर. पी. सी.) और बचाव में 5 गवाहों से पूछताछ की, डी. डब्ल्यू.-1 लाटखोर थे जो ए-14 मंगलराम के साथ पुलिस स्टेशन गए थे। डी. डब्ल्यू.-2 दिलीप कुमार, डी. डब्ल्यू.-3 बरसन, डी. डब्ल्यू.-4 आर. एल. चंद्राकरंद डी. डब्ल्यू.-5 दिनेश कुमार क्रमशः ए-12 नंद कुमार, ए-13 लखन, ए-18 केदार और ए-17 नारद की याचिका के संबंध में।

डलेसवार और ए. एन. आर. वी. एम. पी. का राज्य (अब छत्तीसगढ़) [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

विचारण न्यायालय के निष्कर्ष-- जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है

अदालत 7. साक्ष्य लेने और पक्षों को सुनने के बाद, निचली अदालत ने इस मामले में निर्धारण के लिए छह बिंदु तैयार किए

जो नीचे पढ़ा गया है:

" 1) क्या गोविंद सिंह नेताम की हत्या की गई है?

क्या हत्या का प्रयास किया गया है

2)

धनवरम नेताम?

3)

क्या अभियुक्त व्यक्तियों ने उक्त कार्य किया है

एक गैरकानूनी सभा का गठन करके और दंगा करके और उपरोक्त अधिनियम के आयोग को बढ़ावा देकर कार्य करें

साझा इरादे को आगे बढ़ाना?

4)

क्या अभियुक्त व्यक्तियों का अपराध करने का इरादा था

गोविंद सिंह और धनवरम की हत्या?

क्या आरोपी व्यक्ति दंगों के दोषी हैं

5)

घातक हथियारों से लैस?

6)

यदि हां, तो सजा।

7.1 . अपने निर्णय और दिनांक 26.11.1999 के आदेश में, विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का गहन विश्लेषण किया, जिसमें शामिल हैं -

घायल गवाह पीडब्लू-1 और अन्य गवाहों की गवाही, विशेष रूप से विचाराधीन घटनाओं के गवाह पीडब्लू-2, पीडब्लू-3, पीडब्लू-4, पीडब्लू-5, पीडब्लू-6, पीडब्लू-9, पीडब्लू-16 के साथ-साथ चिकित्सा अधिकारी पीडब्लू-18 और पीडब्लू-21 भी हैं। ट्रायल कोर्ट ने पेश किए गए सबूतों की भी जांच की

अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा और उसके बाद, अभियोजन पक्ष का मामला वर्तमान अपीलार्थियों सहित कुछ अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ उचित संदेह से परे साबित हुआ, लेकिन सभी अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में नहीं। विचारण न्यायालय के निष्कर्ष, जो दिनांकित 26.11.1999 के निर्णय के पैराग्राफ 44 से 48 में होते हैं, को उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः

" 44 ..... मृत्यु का कारण बनने के इरादे का कोई प्रमाण नहीं है

धनवरम को लगी चोटों के कारण धनवरम

उनकी हथेली, सिर के दाहिने हिस्से, बाएं हाथ, जबड़े और पीठ पर पाया गया, जिसमें से जबड़े, हाथ और कलाई में फ्रैक्चर पाया गया।

शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से पर कोई गंभीर चोट नहीं पाई गई।

इसलिए उपरोक्त चोटें पर्याप्त नहीं थीं

मृत्यु का कारण बनने वाली परिस्थितियों का सामान्य क्रम धनवरम। धनवरम पीडब्लू/1 के साक्ष्य में ऐसा कोई बयान नहीं है कि आरोपी व्यक्ति घटना के समय उसे मारना चाहते थे। उपरोक्त के अनुसार, वहाँ [2020] 5 एस. सी. आर.

यह इस बात का प्रमाण है कि चोट पहुँचाने के बाद अभियुक्त व्यक्ति उस स्थान से चले गए। इसलिए, इस परिस्थिति में केवल यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियुक्त भारोसराम, चिंताराम, दुलेश्वर और विवेकानंद का इरादा केवल धनवरम को चोट पहुँचाना था। यह साबित होता है कि धनवरम गंभीर रूप से घायल है और यह आरोपी व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर या जानबूझकर किया गया है कि

धनवरम पर हमला करने पर वह घायल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से यह कार्य किया है। इसलिए, आरोपी भारोसाराम, चिंताराम, दुलेश्वर और विवेकानंद ने स्वेच्छा से मारपेट करके धनवरम को गंभीर चोट पहुंचाई। 45.घातक हथियारों से लैस दंगों के संबंध में काफी सबूत हैं। गोविंद सिंह की मौत की घटना को दंगा माना जाता है। घटना के गवाह संतोष पीडब्लू/2 ने कहा कि अभियुक्तों में से एक के पास एक

तंगिया। भवन सिंह पीडब्लू/3 ने कहा कि सभी आरोपी लाठी ले रहे थे। राजेश पीडब्लू/4 ने कहा कि 1-2 व्यक्ति थे

तंगिया और अन्य सभी लाठियाँ खा रहे थे। प्रहलाद पीडब्लू/5 ने इस संबंध में कोई विशिष्ट बयान नहीं दिया। हीराधर पीडब्लू/9 ने कहा कि केवल लाठियों का उपयोग किया जाता था। किसी भी आरोपी द्वारा तलवार का उपयोग करने का कोई सबूत नहीं है और मृतक के शरीर पर किसी भी धारदार हथियार की तलवार या टांगिया से कोई चोट नहीं पाई गई है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों को लाठियों से सजाया गया था। लाठी खतरनाक हथियार है या नहीं, इसके तहत विचार किया जा सकता है

जिन परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि हाथ में मामले में, लाठियों के उपयोग से ऐसी चोटें लगी थीं जिससे गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी, इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी के पास गंभीर चोट पहुंचाने के उद्देश्य से लाठियां थीं। इसलिए यह साबित होता है कि नामित अभियुक्त व्यक्तियों ने गैरकानूनी सभा के सदस्य होने के कारण दंगे किए।

खतरनाक हथियार के रूप में लाठी और गोविंद की मौत का कारण बना

सिंह।

46. उपरोक्त साक्ष्य और अन्य सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अभियुक्त नं। 1

भरोसाराम, नहीं। 2 दुलेश्वर, नहीं। 4 चिंताराम, नहीं। 5 भजन सिंह, नहीं। 6 खेमराज, नहीं। 7 केशवप्रसाद, नहीं। 8 खेमुरम, नहीं। 12 नंद कुमार, नहीं। 13 डबल्यू. एल. ई. एस. डब्ल्यू. आर. और ए. एन. आर. के आसपास 15/10/1998 पर लखन।

वी. एम. पी. का राज्य (अब छत्तीसगढ़) [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

5 लाठियों के साथ गैरकानूनी सभा बनाकर प्रधानमंत्री

खतरनाक हथियार, किए गए दंगे और जिनका सामान्य उद्देश्य गोविंद सिंह की मौत का कारण बनना था और अपने सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए, गोविंद सिंह की मौत का कारण काले पुल के पास प्रत्येक आरोपी ने लाठियों से गंभीर हमले किए हैं। अतः, अपराध के तहत

सेक. 147 , 148 , 302 और आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पढ़ा जाने वाला 304 पाया गया है

उपरोक्त अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध साबित किया जाए।

47. सेक के तहत आरोप। 307 आई. पी. सी. की धारा साबित नहीं होती है, लेकिन उपरोक्त आरोप के तहत परिस्थितियां जो रिकॉर्ड पर लाई गई हैं, धारा के तहत कम अपराध साबित होती हैं। 325 आईपीसी की। इस तरह की सजा का आदेश धारा के तहत दिया जा सकता है। 222 सीआरपीसी का। अतः अभियुक्त भारोसा, चिंताराम, दुलेश्वर और विवेकानंद को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है।

सेक. 325 धनवरम को गंभीर चोट पहुँचाने के लिए आई. पी. सी.

48. हाथ में मामले में, उनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ है

बाकी अभियुक्त व्यक्ति मुकेश निर्मलकर,

वासुदेव, चेमानंद, मंगलराम, गरीब राम, लक्ष्मण सिंह, नारदराम और केदारनाथ। इसलिए, उपरोक्त सभी अभियुक्त व्यक्तियों को धारा के तहत उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है। 147 , 148 , 302 या आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पढ़ा गया 149,307 या 307 के साथ पढ़ा गया। अभियुक्त व्यक्तियों के बीच उपरोक्त जो हिरासत में हैं, यदि नहीं तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए

किसी अन्य मामले में आवश्यक है और उनके जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं।

7.2 . जैसा कि देखा गया है, विवेकानंद (ए-9) को छोड़कर दोषी अभियुक्त व्यक्तियों को अलग-अलग सजा दी गई थी, जिसमें आजीवन कारावास भी शामिल था। कारावास। घटना के समय विवेकानंद (ए-9) नाबालिग पाए गए थे और उन्हें एक साल और तीन महीने की सजा सुनाई गई थी, यह देखते हुए कि वे पहले ही 405 दिनों की सजा काट चुके थे।

8. दोषसिद्धि के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध, अपीलकर्ताओं और अन्य दोषी अभियुक्तों ने 1999 की आपराधिक अपील संख्या 3336 को प्राथमिकता दी।

लोग। 12.09.2014 दिनांकित सामान्य निर्णय और आदेश पारित करते समय, उच्च न्यायालय ने इसमें अपीलकर्ताओं और सह-अभियुक्त की ओर से आग्रह की गई दलीलों पर विचार करने के बाद, निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की और कहा कि अभियुक्त व्यक्तियों [2020] द्वारा कोई बचाव नहीं किया गया था।

वे मृतक पर हमला करने के बजाय किसी उद्देश्य से घटना स्थल पर एकत्र हुए थे। इसके अलावा, बरी किए गए अभियुक्तों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इसलिए, अपील के साथ-साथ याचिका भी खारिज कर दी गई। उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की

एलडी निम्नानुसारः -

" 23. यह सच है कि एक गैरकानूनी सभा के सदस्य द्वारा किए गए प्रत्येक अपराध के लिए आवश्यक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा या

उस के हर दूसरे सदस्य पर परोक्ष रूप से बांधा गया आई. पी. सी. की धारा 149 की सहायता से सभा। सभा के कार्यों की प्रकृति से मृत्यु होने की संभावना सदस्य की जानकारी में होनी चाहिए जिसे मृत्यु के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया जाना है। ऐसा ज्ञान

सभा की प्रकृति, कार्रवाई के स्थल पर या उससे पहले व्यवहार की भुजाओं से उचित रूप से एकत्र किया जा सकता है। वर्तमान मामले में सबूत है कि आरोपी नंबर 3 मुकेश

वह कह रहा था कि वह निश्चित रूप से दो पटाखे फोड़ेगा और दो लोगों की हत्या के लिए आरोपी/अपीलकर्ताओं की पूर्व योजना थी। इसके अलावा, अभियुक्तों/अपीलार्थियों द्वारा कोई बचाव नहीं किया गया है जिस पर वे एकत्र हुए थे।

इसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए घटना का स्थान मृतक पर हमला करना। यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि आरोपी/अपीलार्थी का मृतक पक्ष के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध था, वे सभी उसे पीटने के लिए खोज रहे थे, वे एक ही समय में मौके पर पहुंचे, हालांकि अलग-अलग दिशाओं से, मृतक को रोका और उसे पीटना शुरू कर दिया।

इसके बाद, जबकि मृतक को आरोपी नं. 1 भरोसाराम और अभियुक्त नं। 4 चिंताराम के दोनों पैर पकड़कर, उसे अन्य अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं द्वारा पीटा जा रहा था। 24. द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों से

अभियोजन पक्ष, यह स्पष्ट है कि सभी अभियुक्त/अपीलार्थी हथियारों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे थे। अगर

जिस तरह से अभियुक्त/अपीलार्थी मौके पर आए थे, यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने आई. पी. सी. की धारा 141 में उल्लिखित अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर एक गैरकानूनी सभा का गठन नहीं किया था। जबकि गैरकानूनी सभा की सदस्यता अपने आप में आई. पी. सी. की धारा 143 के तहत एक अपराध है, गैरकानूनी सभा के सदस्यों द्वारा बल का उपयोग द्वंद्व और ए. एन. आर. को जन्म देता है।

वी. एम. पी. का राज्य (अब छत्तीसगढ़) [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

दंगों के अपराध के लिए जो या तो के तहत दंडनीय है आईपीसी की धारा 147 या 148। अभियुक्त/अपीलार्थियों के हाथों में हथियारों की उपलब्धता और उनका उपयोग अभियोजन पक्ष द्वारा न केवल मौखिक साक्ष्य से बल्कि चिकित्सा साक्ष्य से भी स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है, जिसके अनुसार मृतक के शरीर पर 18 घाव पाए गए थे। इस प्रकार

प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य पर विचार करना, जिसमें शामिल हैं

घायल प्रत्यक्षदर्शी पीडब्लू-1 धनवरम, साथ ही चिकित्सा साक्ष्य, मृतक गोविंद के साथ-साथ पीडब्लू-1 धनवरम को हुई चोटों की संख्या और प्रकृति, जिस तरह से उन पर हमला किया गया था जिसके परिणामस्वरूप गोविंद की मौत हुई थी, यह स्पष्ट है कि उनका सामान्य उद्देश्य गैरकानूनी है।

सभा मृतक की हत्या करने वाली थी और

स्वेच्छा से पीडब्लू-1 धनवरम के लिए गंभीर झोपड़ी बनाएँ। इसके लिए

ऊपर बताए गए कारण से, हम अपीलार्थियों के वकील की दलीलों में कोई बल नहीं पाते हैं कि अभियुक्तों/अपीलार्थियों का मामला आई. पी. सी. की धारा 4 से धारा 300 के अपवाद के दायरे में आता है, जिससे उन्हें आई. पी. सी. की धारा 304 भाग 2 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। आईपीसी. ट्रायल कोर्ट ने सभी की उचित सराहना के बाद

अभिलेख पर साक्ष्य ने ठीक ही अपीलार्थियों को दोषी ठहराया है और सजा सुनाई है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और निर्णय में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है जिससे हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

इस न्यायालय द्वारा। 25. उत्तरदाता संख्या 2 से 10 तक के दोषमुक्त होने के संबंध में

क्र. 2000 का रेव. 517), विचारण न्यायालय ने अपने उचित परिप्रेक्ष्य में मामले के सभी तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि इन अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों के खिलाफ उन्हें विचाराधीन अपराध से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। उक्त निष्कर्ष अभिलेख पर साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आधारित है। हम उक्त निष्कर्षों में इसे परेशान करने के लिए कोई अवैधता या विकृति नहीं पाते हैं।

26. परिणामस्वरूप, क्र. ए. No.3336/1999 और सीआर। प्रकटीकरण सं. 517/2000 बिना किसी पदार्थ के होने के कारण खारिज किए जाने योग्य हैं।

और उन्हें इस तरह बर्खास्त कर दिया जाता है। प्रतिद्वंद्वी विवाद

9. उपरोक्त निर्णय और आदेश को स्वीकार करते हुए, अपने कथन की पुष्टि करते हुए और दिए गए दंड को बरकरार रखते हुए, अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपीलों को खारिज कर दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. अपीलार्थियों के लिए सीखा हुआ वकील, जबकि उसे सीमित करते हुए

आई. पी. सी. की धारा 302/149 के तहत केवल आरोप के लिए प्रस्तुतियों ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि कथित चश्मदीद गवाहों ने सामान्य बनाया है। बयान कि सभी आरोपी व्यक्ति जो संख्या में 17-18 थे, आए और मृतक गोविंद सिंह पर हमला किया, लेकिन अपीलकर्ता नहीं थे

विशेष रूप से इन गवाहों द्वारा नामित और दोषसिद्धि नहीं हो सकती थी

ऐसे अस्पष्ट और सरसरी बयानों पर आधारित हैं जो विचाराधीन अपराध में किसी भी अपीलार्थी की दोषसिद्धि को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। विद्वान वकील ने चंद्र शेखर बिंद और ओआरएस में निर्णय का उल्लेख किया है। वी. बिहार राज्यः ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 4024 ने यह प्रस्तुत किया कि बड़ी संख्या में कथित लोगों से संबंधित इस मामले से निपटते समय

अपीलार्थी भाऊरोसाराम (ए-1) और एक अन्य अभियुक्त चिंताराम (ए-4); और अन्य अपीलार्थियों के खिलाफ कोई ठोस और सुसंगत सबूत नहीं होने के कारण, वे बरी किए गए अभियुक्त व्यक्तियों की तरह दोषमुक्त होने के योग्य हैं। विद्वान वकील ने राजस्थान राज्य बनाम में निर्णय पर भी भरोसा किया है। शीशपालः ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 4958 प्रस्तुत करता है कि अभियुक्त के अपराध को सभी उचित संदेहों से परे साबित किया जाना चाहिए; और तथ्यों और इस मामले की परिस्थितियों में, जब प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, एक अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी बेगुनाही की ओर, तो वह दृष्टिकोण जो अभियुक्त के लिए अनुकूल है, स्वीकार किया जाना चाहिए।

10.1 . अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने भी तर्क दिया है

मामले की परिस्थितियों और सौंपी गई भूमिका को देखते हुए, उसकी दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 304 के भाग I के तहत बदला जा सकता है और सजा को पहले से चली गई अवधि तक कम किया जा सकता है जबकि अन्य अपीलार्थी दुलेश्वर, नंद कुमार, भंजन सिंह, केशव प्रसाद, खेमुरम और लखन को आई. पी. सी. की धारा 302/149 के तहत आरोप से बरी कर दिया जाए।

11. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील ने इस दलील के साथ अपीलार्थियों की दोषसिद्धि का समर्थन किया है कि विचारण न्यायालय और

उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए प्रत्येक तर्क पर विचार किया है और विवादित निर्णय किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं हैं।

ताकि हस्तक्षेप का आह्वान किया जा सके। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि सभी अभियुक्त अपीलार्थियों की पहचान चश्मदीद गवाहों और विशेष रूप से स्टार गवाह पीडब्लू-5 द्वारा की गई है, जिन्होंने अपीलार्थियों के नामों को स्पष्ट रूप से अपदस्थ कर दिया है। विद्वान वकील, पीडब्लू-2 के अनुसार,

पीडब्लू-3, पीडब्लू-4 और पीडब्लू-5 घटना के विवरण और मृतक को मारने के लिए उपयोग किए गए हथियारों की पुष्टि करने में सक्षम हैं। विद्वान वकील ने पॉलमेली बनाम में निर्णय पर भी भरोसा किया है। तमिलनाडु राज्यः (2014) 13 एस. सी. सी. 90 यह प्रस्तुत करने के लिए कि एक शत्रुतापूर्ण गवाह की गवाही को भी पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसकी गवाही का साक्ष्य मूल्य खो नहीं गया है और इस हद तक स्वीकार किया जा सकता है कि संस्करण पाया जाता है। अन्य भौतिक साक्ष्य के साथ पुष्टि की गई। विद्वान वकील ने पीडब्लू-9 हीराधर की गवाही का उल्लेख किया है और तर्क दिया है कि भले ही यह गवाह मुकर गया हो, उसने विशेष रूप से दो अभियुक्त व्यक्तियों खेमराज और दुलेश्वर का नाम लिया है जो मृतक गोविंद की पिटाई में शामिल थे; और उसकी गवाही उनके खिलाफ मामले को मजबूत करती है। इसके अलावा, इस न्यायालय के कई फैसलों के संदर्भ में, जिनमें डुली चंडी बनाम के माध्यम से लाला राम (डी) शामिल हैं। हरियाणा राज्यः (1999) 9 एस. सी. सी. 525 और कल्लू बनाम। मध्य प्रदेश राज्यः (2006) 10 एस. सी. सी. 313, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि चश्मदीद गवाहों की गवाही में मामूली विसंगतियां अभियोजन पक्ष के मामले के खिलाफ काम नहीं करती हैं; बल्कि कथनों में कुछ विसंगतियां बाध्य हैं

यह तब होता है जब गवाह विवरण पर बोलते हैं। विद्वान वकील के अनुसार, कोई भौतिक विरोधाभास नहीं होने के कारण, अभिलेख पर साक्ष्य लगातार अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ मामले को साबित करते हैं।

कि एक बार जब यह पाया जाता है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने एक गैरकानूनी सभा का गठन किया और अपराध किया, तो ऐसी गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य उत्तरदायी रहेगा और किसी विशेष अभियुक्त की ओर से किसी विशेष भूमिका या कार्य का कोई सबूत आवश्यक नहीं है। हालाँकि, विद्वान वकील ने अपनी लिखित दलीलों में प्रस्तुत किया कि नंद कुमार (ए-12) का नाम चश्मदीद गवाहों की गवाही में नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और

अभिलेख पर पूरी सामग्री को स्कैन किया है।

विचाराधीन घटनाएं और गैरकानूनी सभा का गठन

13. जैसा कि देखा गया है, अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि दो घटनाएं 15.10.1998 के दोपहर और शाम के घंटों में हुईः में से एक

जिसमें पीडब्लू-1 धनवरम को गंभीर चोटें आईं और दूसरे के कारण गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई, जो पीडब्लू-1 धनवरम के भाई थे। अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से जो सुझाव दिया गया है, उसके अनुसार उसी दिन और लगभग उसी समय एक और घटना हुई, जिसमें मृतक गोविंद सिंह ने कथित रूप से मंगलराम (ए-14) पर हमला किया। यह तथ्य कि खेतों के संबंध में विवाद हुआ था, जिसमें एक ओर बिसेलाल साहू (आरोपी मंगलराम के भाई) और दूसरी ओर पीडब्लू-1 धनवरम शामिल थे, निर्विवाद है। यह भी स्पष्ट है कि विचाराधीन घटनाओं की उत्पत्ति इस तरह के विवाद में हुई थी। अभियोजन पक्ष का मामला था कि कम से कम छह अभियुक्त व्यक्ति, भारोसराम (ए-1), दुलेश्वर (ए-2), चिंताराम

अपीलार्थी भारोसाराम (ए-1) और दुलेश्वर (ए-2) को आईपीसी की धारा 325 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। इस तरह की दोषसिद्धि को इन अपीलों में विशेष रूप से चुनौती नहीं दी गई है और अन्यथा भी, ठोस साक्ष्य के आधार पर इस तरह की दोषसिद्धि को बाधित करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार, यह देखा जाता है कि पार्टियों में दुश्मनी थी और दुर्भाग्यपूर्ण दिन, पीडब्लू-1 धनवरम पर हमले के साथ गुस्सा और बढ़ गया। यह है।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि धनवरम पर इस तरह के हमले के बाद विधानसभा धनवरम के भाई (यानी मृतक गोविंद सिंह) की तलाश में गई और उसे काली पुल के पास खोजने के बाद विधानसभा के सदस्यों ने उस पर हमला किया और उसे पैरों से घसीटते हुए पीट-पीटकर मार डाला। इन अपीलों में, हम अनिवार्य रूप से आई. पी. सी. की धारा 302/149 के तहत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि से संबंधित हैं। इन अपीलों में उत्पन्न होने वाले प्रासंगिक प्रश्नों की जांच तथ्यों और आसपास के कारकों की पृष्ठभूमि में की जा सकती है जैसा कि ऊपर देखा गया है।

14. समान उद्देश्य के साथ एक गैरकानूनी सभा का गठन

आई. पी. सी. की धारा 149 को लागू करने के लिए मूल घटक, पहला बिंदु डलेसवार और ए. एन. आर. होना चाहिए।

वी. एम. पी. का राज्य (अब छत्तीसगढ़) [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

यह निर्धारित किया जाता है कि क्या इस तरह की गैरकानूनी सभा का गठन स्थापित किया गया है। अभिलेख पर साक्ष्य की समझ में, हमारे विचार में, यह तथ्य कि वास्तव में एक बड़ी सभा का गठन किया गया था, जिसमें सदस्य लाठियों और तंगियों सहित हथियारों से लैस थे और वे गोविंद सिंह पर हमले में शामिल थे, अभिलेख के चेहरे पर चश्मदीद गवाहों पी. डब्ल्यू.-2 संतोष कुमार, पी. डब्ल्यू.-3 भुवन, पी. डब्ल्यू.-4 राजेश और पी. डब्ल्यू.-5 प्रह्लाद यादव की लगातार गवाही से स्पष्ट है। 6 यहां तक कि शत्रुतापूर्ण घोषित गवाह यानी पीडब्लू-9 हीराधर ने भी गोविंद सिंह पर एक सभा द्वारा हमले के तथ्य की गवाही दी है। उन्होंने कम से कम दो हमलावरों का नाम भी लिया। हम थोड़ी देर बाद प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति की पहचान के सवाल पर आएंगे। इस मोड़ पर यह देखने के लिए पर्याप्त है कि हथियारों के साथ एक गैरकानूनी सभा के गठन का तथ्य है

पर्याप्त रूप से स्थापित। लालजी के मामले (उपरोक्त) के संदर्भ में प्रत्यर्थियों की ओर से यह उचित तर्क दिया गया है कि एक बार अपराध करने के समय गैरकानूनी सभा का गठन स्थापित हो जाने के बाद, सभा के एक व्यक्तिगत सदस्य की विशिष्ट भूमिका का सवाल प्रस्तुत किया जाता है। माध्यमिक। दूसरे शब्दों में, अभियोजन पक्ष को उस सभा के प्रत्येक सदस्य की ओर से किसी विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान मामले में यह भी संदेह से परे स्थापित किया गया है कि मृतक गोविंद सिंह को काले और नीले रंग में बेरहमी से पीटा गया था और उनके पूरे शरीर पर व्यापक चोटें आई थीं, जिसमें चोट, घाव और विभिन्न हड्डियों और पसलियों के कई फ्रैक्चर शामिल थे। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और

चिकित्सकीय राय है कि गोविंद सिंह की मृत्यु लीवर के टूटने और पसलियों के फ्रैक्चर के सदमे के कारण हुई थी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी बेरहमी से पिटाई के साथ कठोर और वीभत्स मौत हुई थी, जिसमें लाठी जैसे कुंद हथियारों का कई बार उपयोग भी शामिल था। इस प्रकार, यह तथ्य कि गोविंद सिंह को पीट-पीटकर मारने के सामान्य उद्देश्य के साथ एक सभा हुई थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। गोविंद सिंह की मौत का कारण बनने का तरीका यह स्पष्ट करता है कि इस तरह की सभा बनाने वाले हमलावरों का इरादा केवल मौत का कारण बनना था और कृत्य केवल उसी इरादे से किए गए थे। इस सभा के सदस्य के रूप में विशेष अभियुक्त की पहचान के सवाल पर, निश्चित रूप से, यह पता लगाने के लिए विचार करने की आवश्यकता होगी कि अभियोजन पक्ष का मामला उसके खिलाफ उचित संदेह से परे साबित हुआ है या नहीं।

6 पीडब्लू-2 से पीडब्लू-4 ने ऐसी सभा के सदस्यों की अनुमानित संख्या भी बताई है। पीडब्लू-2 संतोष कुमार के अनुसार, सभा लगभग 17-18 व्यक्तियों की थी। जबकि पीडब्लू-3 भुवन के अनुसार, वे संख्या में 20-25 थे और पीडब्लू-4 राजेश के अनुसार, इस सभा के सदस्यों की संख्या लगभग 15-20 थी।

20] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कई अभियुक्त व्यक्ति और कई चश्मदीद गवाहः

साक्ष्य की सराहना के लिए सिद्धांत

15. उपरोक्त प्रश्न को शुरू करने से पहले, हम इसका उल्लेख कर सकते हैं -

तथ्य यह है कि वर्तमान मामले में, एफ. आई. आर. में 12 व्यक्तियों का नाम लिया गया था और विचाराधीन अपराधों के लिए 18 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था। मुकदमे में, अन्य गवाहों के अलावा, अभियोजन पक्ष ने पी. डब्ल्यू.-2 संतोष कुमार, पी. डब्ल्यू.-3 सहित कई व्यक्तियों से चश्मदीद गवाह के रूप में पूछताछ की।

भुवन, पीडब्लू-4 राजेश, पीडब्लू-5 प्रह्लाद यादव, पीडब्लू-9 हीराधर और पीडब्लू-16 टीकुराम यादव। निचली अदालत ने वर्तमान अपीलार्थियों सहित 9 अभियुक्त व्यक्तियों को धारा 147 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया।

148 और आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पढ़ा गया और उच्च न्यायालय ने इस तरह की दोषसिद्धि की पुष्टि की। कई अभियुक्त व्यक्तियों और कई गवाहों से जुड़े ऐसे मामले के संबंध में, मसाला v में बताए गए सिद्धांतों का उल्लेख करना सार्थक होगा। यू. पी. का राज्य : (1964) 8 एस. सी. आर. 133, जैसा कि चंद्रशेखर बिंद (ऊपर) के मामले में निम्नलिखित में दोहराया गया हैः

" 9. हालाँकि, यह एक ऐसी घटना है जिसमें बड़ी संख्या में

अभियुक्त ने भाग लिया था। इसकी संविधान पीठ

अदालत ने मसाला बनाम के मामले में कहा है। यू. पी. का राज्य : ए. आई. आर. 1965 एससी

202 अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य अधिनियम के तहत, विश्वसनीय साक्ष्य एकल गवाह द्वारा दिया गया दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त होगा

अभियुक्त व्यक्ति, जबकि आधा दर्जन द्वारा दिया गया साक्ष्य

जो गवाह भरोसेमंद नहीं हैं, वे पर्याप्त नहीं होंगे दृढ़ विश्वास बनाए रखें। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहाँ एक आपराधिक अदालत

आयोग से संबंधित साक्ष्य से निपटना पड़ता है बड़ी संख्या में अपराधियों को शामिल करने वाला अपराध, यह सामान्य है

इस परीक्षण को अपनाएँ कि दोषसिद्धि केवल तभी कायम रह सकती है जब वह

दो या तीन या अधिक गवाहों द्वारा समर्थित है जो एक

घटना का सुसंगत विवरण। यह माना गया था कि एक अर्थ में,

परीक्षण को यांत्रिक के रूप में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता है

गवाहों की संख्या, फिर भी इस तरह के एक को अपनाने के लिए उपयोगी है यांत्रिक परीक्षण।

10. यह दो-गवाह सिद्धांत भी इसके द्वारा अपनाया गया है। बिनय कुमार सिंह बनाम के मामले में न्यायालय। बिहार राज्यः 1997

1 एससीसी 283। यह माना जाता है कि सबूत का कोई नियम नहीं है कि नहीं

दोषसिद्धि तब तक आधारित हो सकती है जब तक कि एक निश्चित न्यूनतम संख्या

7 जैसा कि देखा गया है, इन दोषी अभियुक्तों में से 7 अपीलार्थी के रूप में हमारे सामने हैं जबकि अन्य दो नाम चिंताराम (ए-4) और खेमराज (ए-6) ने अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील नहीं की है।

डलेसवार और ए. एन. आर. वी. एम. पी. का राज्य (अब छत्तीसगढ़) [दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.

गवाहों ने एक विशेष आरोपी की पहचान गैरकानूनी सभा के सदस्य के रूप में की है। यह माना जाता है कि यह स्वयंसिद्ध है कि साक्ष्य को गिना नहीं जाना चाहिए बल्कि केवल तौला जाना चाहिए और यह साक्ष्य की मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता है जो मायने रखती है। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि एक एकल गवाह की गवाही भी, यदि पूरी तरह से विश्वसनीय है, तो एक अभियुक्त की पहचान एक गैरकानूनी सभा के सदस्य के रूप में स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। यह माना जाता है कि जब गैरकानूनी सभा का आकार काफी बड़ा होता है और कई
लोगों ने इस घटना को देखा होगा

दंगों में एक प्रतिभागी के रूप में एक आरोपी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कम से कम दो विश्वसनीय गवाहों पर जोर देने के लिए एक विवेकपूर्ण अभ्यास।

15.1 . इस प्रकार, यह सबूत की गुणवत्ता है जो मायने रखती है न कि मात्रा; और यहां तक कि एक गवाह की गवाही भी शायद पर्याप्त है एक गैरकानूनी सभा के सदस्य के रूप में एक अभियुक्त की पहचान स्थापित करें, लेकिन जब सभा का आकार काफी बड़ा हो और कई व्यक्तियों ने घटना को देखा हो; और जब एक गवाह सामान्य शब्दों में गवाही देता है, तो यह

एक से अधिक गवाहों की निरंतरता की परीक्षा को अपनाने के लिए उपयोगी होगा ताकि विचाराधीन सभा के सदस्य के रूप में अभियुक्त की पहचान के बारे में किसी भी संदेह को दूर किया जा सके। हालाँकि, अगर इस तरह की निरंतरता की परीक्षा को अपनाया जाता है, तो भी 'घटना का सुसंगत विवरण' की तलाश की जानी चाहिए; और निरंतरता की आवश्यकता को इस तरह से नहीं बढ़ाया जा सकता है जैसे कि प्रत्येक गवाही में अभियुक्त के प्रत्येक नाम की पुनरावृत्ति की खोज की जाए। दूसरे शब्दों में, अभिलेख पर समग्र साक्ष्य की समझ आवश्यक है; और केवल प्रमुखों की गिनती या केवल नामों का पाठ या किसी विशेष गवाह की गवाही में किसी भी नाम को छोड़ना मामले का निर्णायक नहीं हो सकता है। ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों में, यहां तक कि पुष्टि करने वाले तथ्यों और कारकों की प्रासंगिकता जैसे कि हथियारों की बरामदगी या किसी अन्य वस्तु से संबंधित

विचाराधीन अपराध को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

15.2 वर्तमान मामले में, यह देखा गया है कि निचली अदालत ने अभिलेख पर साक्ष्य का बड़ी मेहनत से विश्लेषण किया, लेकिन अपना निष्कर्ष दर्ज करते हुए, बड़े पैमाने पर केवल पीडब्लू-5 प्रह्लाद यादव की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए आगे बढ़ा, हालांकि उसने

कुछ अन्य गवाहों की गवाही में भी कुछ अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में पुष्टि। उच्च न्यायालय, हालांकि अपील का पहला न्यायालय था, अनिवार्य रूप से केवल निचली अदालत के निष्कर्षों के आधार पर आगे बढ़ा। मामले की परिस्थितियों में, यह उचित प्रतीत होता है और [2020] 5 एस. सी. आर.

उचित है कि अभिलेख पर साक्ष्य से उभरने वाला समग्र परिदृश्य

इस पर ध्यान दिया जाए और फिर, प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में मामले का विश्लेषण किया जाए।

विचाराधीन घटना से संबंधित समग्र परिदृश्य

16. पीडब्लू-2 संतोष कुमार की गवाही के अनुसार, घटना के दिन शाम करीब 5 बजे वह काली के पास साइकिल की दुकान पर मौजूद था।

पीडब्लू के साथ पुल-3 भुवन, पीडब्लू-4 राजेश और पीडब्लू-5 प्रह्लाद यादव एक अन्य व्यक्ति अंगद के साथ। पीडब्लू-2 संतोष कुमार द्वारा यह दावा किया गया था कि आरोपी व्यक्ति लाठी और कुल्हाड़ी लेकर मौके पर आए थे; उन्होंने गोविंद सिंह के साथ बहस शुरू कर दी; और उन्होंने अन्य गवाहों को यह स्वीकार करते हुए चले जाने के लिए कहा कि गोविंद सिंह को मार दिया जाना है। गवाह ने यह भी गवाही दी कि आरोपी व्यक्तियों ने गोविंद सिंह पर हमला करना शुरू कर दिया; और यह कि भरोसाराम और चिंताराम ने गोविंद सिंह के दोनों पैर पकड़ लिए और खींच लिया, जबकि अन्य लोग उसे पीटते रहे। पीडब्लू-3 भुवनंद पीडब्लू-4 राजेश ने फिर से घटना की गवाही दी

मृतक को पैरों से पकड़कर घसीटा जा रहा था जबकि अन्य लोग उसे पीटते रहे। हालांकि, पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 ने हमलावर के रूप में किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लिया। 17. पीडब्लू-5 प्रह्लाद यादव की गवाही में न केवल घटना का पूरा विवरण दिया गया है, बल्कि हमलावरों के कई नाम भी बताए गए हैं।

हुआ। सबसे पहले, उन्होंने जोर देकर कहा कि भरोसा (ए-1), नंद (ए-12), चिंता (ए-4) और भंजन (ए-5) ने उन्हें जाने के लिए कहा। गवाह ने आगे कहा कि भरोसाराम (ए-1) और चिंताराम (ए-4)

और नंद कुमार (ए-12)। पीडब्लू-9 हीराधर ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन नहीं करने के लिए शत्रुतापूर्ण घोषित किया, लेकिन पीडब्लू-2 संतोष कुमार और पीडब्लू-5 प्रह्लाद यादव की गवाही की पुष्टि की कि मृतक गोविंद सिंह की तलाश करने वाले व्यक्तियों की सभा; और खेमराज (ए-6) और दुलेश्वर (ए-2) ने गोविंद सिंह को लाठी से मारा था, जिसके कारण वह गिर गया था। इस गवाह ने कहा कि वह गोविंद सिंह को इस तरह के प्रहार दिए जाने के बाद चला गया और उसने घटना को नहीं देखा इसके बाद। पीडब्लू-16 टीकुमाराम यादव को भी एक चश्मदीद गवाह के रूप में उद्धृत किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरह के हमले को दूर से देखा था और वह दुल्हेश्वर और ए. एन. आर. थे।

हमलावरों को पहचानने में असमर्थ। इस तरह की गवाही के साथ यह तथ्य बना हुआ है कि जाँच के दौरान आई. ओ. द्वारा कई खून से सने हथियार और कपड़े जब्त किए गए थे। हालांकि इस तरह की जब्ती के गवाह कार्यवाही, पीडब्लू-13 पुनारद राम और पीडब्लू-14 रेशमलाल को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया है, लेकिन पीडब्लू-20 वी. एस. की गवाही में कुछ भी नहीं हुआ है।

ऐसी जब्ती कार्यवाही के संबंध में गवाही।

अभियुक्त व्यक्तियों के व्यक्तिगत मामले

18. विचाराधीन घटना से संबंधित परिदृश्य और चश्मदीद गवाहों द्वारा दिए गए विवरण को ध्यान में रखते हुए, हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे समक्ष अपीलार्थियों के संबंध में मामला। यह उपयोगी रूप से दोहराया जा सकता है कि इस मामले में 18 अभियुक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और निचली अदालत ने उनमें से 9 को आई. पी. सी. की धारा 147,148 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया, जबकि अन्य को इन आरोपों के लिए बरी कर दिया।

सभा के सदस्य। पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 दोनों ने गोविंद सिंह को भरोसे (ए-1) के रूप में घसीटने वाले व्यक्तियों के नाम दिए और चिंताराम (ए-4)। पीडब्लू-2 संतोष कुमार और पीडब्लू-5 प्रह्लाद यादव द्वारा एक और तथ्य लगातार कहा गया था कि जब वे

हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, सभा के कुछ व्यक्तियों ने धमकी दी और उन्हें चले जाने के लिए कहा। पीडब्लू-5 प्रह्लाद यादव ने विशेष रूप से बताया कि भरोसा (ए-1), नंद (ए-12), चिंता (ए-4) और भंजन (ए-5) वे आरोपी व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरह की धमकी दी और उनसे कहा कि

दूर चले जाएँ। यहां तक कि शत्रुतापूर्ण गवाह पीडब्लू-9 ने भी विशेष रूप से कहा कि [2020] 5 एस. सी. आर.

खेमराज (ए-6) और दुलेश्वर (ए-2) ने मृतक गोविंद सिंह पर हमला किया।

20. प्रत्यक्षदर्शी की गवाही की उपरोक्त स्थिति में

और घटना की प्रकृति, हमारे विचार में, प्रह्लाद यादव (पीडब्लू-5) द्वारा दिया गया विवरण, जिसने विशेष रूप से कई अभियुक्त व्यक्तियों का नाम लिया था, किसी भी दुर्बलता से पीड़ित प्रतीत नहीं होता है और हमारे विचार में,

कुछ अपीलार्थियों की दोषसिद्धि, जिनके संबंध में कोई उचित संदेह मौजूद नहीं है, उनकी गवाही के आधार पर कायम रखी जा सकती है क्योंकि गवाही में सामग्री विवरणों पर इसकी पुष्टि की गई है।

अन्य गवाह। 21. विचाराधीन घटना से संबंधित समग्र परिदृश्य और गवाही के संबंध में रिकॉर्ड पर प्राप्त स्थिति पर ध्यान देना।

गवाहों में से, अब हम अपने समक्ष प्रत्येक अपीलार्थी के मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच कर सकते हैं।

21.1 . जहाँ तक अपीलार्थी भारोसराम (ए-1) का संबंध है, यह स्थापित होता है कि वह शुरू से ही सभा का हिस्सा था।

चूंकि वह उन हमलावरों में से थे जिन्होंने घटना से पहले की घटना में पीडब्लू-1 धनवरम को गंभीर चोटें पहुंचाईं, जिसके परिणामस्वरूप गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। प्रत्यक्षदर्शी पीडब्लू-5 ने उसे मृतक पर हमला करने वाले अभियुक्त व्यक्तियों में से एक के रूप में नामित किया। यह भी स्थापित किया गया है

गवाह पी. डब्ल्यू.-2 और पी. डब्ल्यू.-5 की गवाही है कि मृतक को दो व्यक्तियों द्वारा पैरों से घसीटा गया था, जिसमें से एक आरोपी भरोसाराम था।

(ए-1)। ऐसा तथ्य कि मृतक को वास्तव में पैरों से घसीटा गया था, पीडब्लू-3 भुवन और पीडब्लू-4 राजेश ने भी कहा है। प्रत्यक्षदर्शी पीडब्लू-5 ने यह भी कहा कि जब आरोपी लोग गोविंद पर हमला कर रहे थे सिंह, वह हस्तक्षेप करने के लिए वहाँ गया था लेकिन उसे भरोसा, नंद, चिंता और भंजन ने धमकी दी थी। पीडब्लू-2 संतोष कुमार की गवाही में विचाराधीन घटना की घटना और कुछ हमलावरों द्वारा गवाहों को दी गई धमकियों की विधिवत पुष्टि की गई है। इन कारकों के साथ, जांच अधिकारी ने इस आरोपी भरोसाराम से एक तंगिया और एक खून से सना हुआ लुंगी जब्त किया। पी/13)। हालाँकि इस अभियुक्त ने आरोप लगाया कि वह घटना के दौरान मौजूद नहीं था और उसे गलत तरीके से फंसाया गया था, लेकिन उसकी बहाना याचिका पर कोई विशिष्ट बचाव साक्ष्य नहीं है और न ही इस अभियुक्त का कोई अन्य विशिष्ट बचाव संस्करण है। तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, हमारे विचार में, यह संदेह से परे स्थापित होता है कि यह आरोपी भरोसाराम (ए-1) उस विधानसभा का सदस्य था जिसने मृतक गोविंद सिंह पर हमला किया और उसकी पिटाई की।

डलेसवार और ए. एन. आर. वी. एम. पी. का राज्य (अब छत्तीसगढ़) [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

21.2 . जहाँ तक अपीलार्थी दुलेश्वर (ए-2) का संबंध है, यह फिर से स्थापित किया जाता है कि वह उन हमलावरों में से था जिन्होंने गंभीर हमला किया था।

घटना से पहले की घटना में पीडब्लू-1 धनवरम को चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। पीडब्लू-5 के अलावा प्रह्लाद यादव ने उन्हें उस विधानसभा के सदस्यों में से एक के रूप में नामित किया जिसने सदन पर हमला किया था।

मृतक, यहां तक कि अन्यथा शत्रुतापूर्ण गवाह पीडब्लू-9 हीराधर ने विशेष रूप से कहा कि यह आरोपी दुलेश्वर उन व्यक्तियों में से एक था जो मृतक गोविंद सिंह पर हमला किया। जैसा कि देखा गया है, केवल इस गवाह पीडब्लू-9 के अभियोजन मामले के किसी हिस्से के संबंध में शत्रुतापूर्ण रुख अपनाने के लिए, उसका

पूरी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है, अगर यह विश्वास को प्रेरित करता है [पॉलमेली के मामले (ऊपर) के अनुसार]। पीडब्लू-9 द्वारा इस अभियुक्त को गलत तरीके से फंसाने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा, पीडब्लू-20, जांच अधिकारी ने इस आरोपी से एक लाठी और एक बनियान जब्त किया (पूर्व वीडियो। पी/14) दोनों में रक्त के धब्बे होते हैं। इस आरोपी ने इसी तरह आरोप लगाया कि वह घटना के दौरान मौजूद नहीं था।

घटना और उसे गलत तरीके से फंसाया गया था, लेकिन उसकी बहाना याचिका पर कोई विशिष्ट बचाव साक्ष्य नहीं है और न ही कोई अन्य विशिष्ट बचाव संस्करण है। परिस्थितियों की समग्रता में, हमारे विचार में, यह संदेह से परे स्थापित होता है कि यह आरोपी दुलेश्वर (ए-2) उस विधानसभा का सदस्य भी था जिसने मृतक गोविंद सिंह पर हमला किया और उसकी पिटाई की थी।

21.3 . अपीलार्थी भंजन सिंह (ए-5) के संबंध में, चश्मदीद गवाह पीडब्लू-5 ने उसे मृतक पर हमला करने वाले अभियुक्त व्यक्तियों में से एक के रूप में नामित किया। इस आरोपी का नाम भी पीडब्लू-5 ने सभा के उन सदस्यों में से एक के रूप में रखा था जिन्होंने गवाहों को जाने की धमकी दी थी।

विचाराधीन घटना की घटना और कुछ हमलावरों द्वारा गवाहों को दी गई धमकियों की पुष्टि पीडब्लू की गवाही में की गई है।

2 संतोष कुमार। इन कारकों के साथ, पीडब्लू-20, जांच अधिकारी ने इस आरोपी से भी खून से सना लाठी जब्त की (पूर्व वीडियो। पी/16)। हालाँकि इस अभियुक्त ने कहा कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया था, लेकिन उसकी ओर से कोई विशिष्ट बचाव याचिका नहीं थी। तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए सेट में, संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि वह उस विधानसभा के सदस्य भी थे जिसने मृतक गोविंद सिंह पर हमला किया और उनकी पिटाई की। 21.4 . जहाँ तक अपीलार्थी केशव प्रसाद (ए-7) का संबंध है, हालाँकि अन्य गवाहों ने उसका नाम स्पष्ट रूप से नहीं बताया, लेकिन

प्रत्यक्षदर्शी पीडब्लू-5 प्रह्लाद यादव ने अपनी पुनः जांच के दौरान विशेष रूप से उसे मृतक पर हमला करने वाले अभियुक्त व्यक्तियों में से एक के रूप में नामित किया। इस आरोपी से लाठी बरामद की गई (पूर्व वीडियो। पी/18) ने रक्त भी ले लिया [2020] 5 एस. सी. आर.

दाग-धब्बे। बहाना की याचिका का सुझाव देने के लिए एक कमजोर प्रयास किया गया था जिसमें डी. डब्ल्यू.-1 लाटखोर ने कहा था कि यह आरोपी अपनी सिलाई करने के लिए धमतरी गया था। घटना के दिन दोपहर करीब 1:30 बजे मशीन की मरम्मत की गई। हालाँकि, इस आरोपी के बयान में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत ऐसी कोई याचिका नहीं थी और घटना के समय किसी अन्य स्थान पर इस आरोपी की उपस्थिति को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई ठोस सबूत नहीं है।

इस मामले की परिस्थितियों की समग्रता में, हमें उन्हें संदेह का लाभ देने का कोई कारण नहीं मिलता है और इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है कि वह उस विधानसभा के सदस्य भी थे जिसने मृतक गोविंद सिंह पर हमला किया था।

अपराध स्थल पर उसकी उपस्थिति और उसकी भागीदारी के बारे में सबूत मृतक पर हमला करने में, हमारे विचार में, यह अभियुक्त खेमुरम (ए-8) संदेह के लाभ का हकदार है और उसके संबंध में निष्कर्षों को कायम नहीं रखा जा सकता है।

21.6 . जहाँ तक अपीलार्थी नंद कुमार (ए-12) का संबंध है, हालाँकि कहा जाता है कि उससे लाठी बरामद की गई है। पी/27) नहीं दिखाया गया था

उसके पास कोई भी खून के धब्बे हैं और राज्य की ओर से प्रस्तुतियों में यह सुझाव दिया गया है कि उसका नाम किसी भी गवाह द्वारा नहीं लिया गया है, लेकिन फिर, पीडब्लू-5 प्रह्लाद यादव के बयान से यह पता चलता है कि उसने स्पष्ट रूप से इस आरोपी का नाम उन व्यक्तियों में से एक के रूप में रखा था जिन्होंने गवाहों को धमकी दी थी और अन्य हमलावरों के नाम के साथ पुनः परीक्षा में उसका नाम भी बताया था। जैसा कि देखा गया है, पीडब्लू-2 संतोष कुमार की गवाही में घटना की घटना और कुछ हमलावरों द्वारा गवाहों को दी गई धमकियों की विधिवत पुष्टि की गई है। दिए गए में

8 हमने मूल अभिलेख की भी जांच की है और यह स्पष्ट है कि पीडब्लू-5 की पुनः जांच में उल्लिखित नाम 'हेमू' है न कि 'खेमू'।

डलेसवार और ए. एन. आर. वी. एम. पी. का राज्य (अब छत्तीसगढ़) [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

इन परिस्थितियों में, इस अपीलार्थी नंद कुमार के खिलाफ मामला कमोबेश उसी आधार पर खड़ा है जो सह-अभियुक्त भारोसराम (ए-1) और भंजन सिंह (ए-5) के खिलाफ है, जैसा कि पूर्वगामी पैराग्राफ 21.1 और 21.3 में चर्चा की गई है। हालांकि एक गवाह डी. डब्ल्यू.-2 दिलीप कुमार से पूछताछ की गई थी।

यह बचाव करते हुए कि यह आरोपी नंद कुमार अपने गाँव दर्रा में मौजूद था

संबंधित समय पर 15.10.1998 पर और दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक मैदान में था, लेकिन अपने बचाव पक्ष में उनके द्वारा ऐसी कोई विशिष्ट याचिका नहीं ली गई थी। विचारण न्यायालय ने ऐसे साक्ष्य को विचार के बाद और उचित रूप से खारिज कर दिया है। तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है कि नंद कुमार (ए-12) भी उस विधानसभा के सदस्य थे जिसने मृतक गोविंद सिंह पर हमला किया था। 21.7 . जहाँ तक अपीलार्थी लखन (ए-13) का संबंध है, यह फिर से देखा गया है कि पीडब्लू-5 प्रह्लाद यादव ने पुनः परीक्षा में अपना नाम बताया लेकिन

तब, किसी अन्य चश्मदीद गवाह ने उसे मृतक गोविंद सिंह पर हमला करने वाली भीड़ के सदस्यों में से एक के रूप में नामित नहीं किया और न ही इस आरोपी का कोई अन्य कार्य रिकॉर्ड पर आया है जो उसे विचाराधीन सभा और घटना के स्थान से जोड़ सकता है। इस प्रकार, इस अभियुक्त लखन की संलिप्तता के संबंध में अन्य गवाहों द्वारा पीडब्लू-5 के बयान की पुष्टि की आवश्यकता थी। कथित हथियार लाठी ने कहा

इस अभियुक्त के कहने पर बरामद किया गया है (पूर्व के माध्यम से। पी/26) को भी रक्त-दाग ले जाते हुए नहीं दिखाया गया है। हालाँकि इस अभियुक्त ने डी. डब्ल्यू.-3 बरसन के रूप में बचाव पक्ष के साक्ष्य का भी नेतृत्व किया, जिसने बयान दिया कि यह अभियुक्त दूसरे गाँव भुरूरेन्गा में था और लगभग 5.00-5:30 बजे अपना गाँव छोड़ कर चला गया और दोनों गाँवों की दूरी लगभग 15 किलोमीटर थी, लेकिन तब उसकी गवाही में तारीखों और समय के बारे में विसंगतियाँ थीं और इस अभियुक्त द्वारा अपने बचाव पक्ष में ऐसी कोई विशिष्ट दलील नहीं ली गई थी। हालाँकि, भले ही उसके संबंध में बचाव पक्ष के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाता है, जैसा कि देखा गया है, एक उचित संदेह अभी भी बना हुआ है कि क्या यह आरोपी लखन विचाराधीन सभा का हिस्सा था। दी गई परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि यह अभियुक्त लखन (ए-13) भी संदेह के लाभ का हकदार है। 22. पूर्वगामी अनुच्छेदों में जो चर्चा की गई है, उसके सारांश में, हमारे विचार में, अपीलार्थी भारोसराम की भागीदारी

(ए-1), दुलेश्वर (ए-2), भंजन सिंह (ए-5), केशव प्रसाद (ए-7) और नंद कुमार (ए-12) विधानसभा के सदस्यों के रूप में जिन्होंने हमला किया। और मृतक गोविंद सिंह को पीट-पीटकर मार डाला, यह रिकॉर्ड में स्थापित है और उनके [2020] 5 एस. सी. आर. पर निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

दृढ़ विश्वास। हालाँकि, हमारे विचार में, अभियोजन पक्ष अपीलार्थी खेमुरम (ए-8) और लखन (ए-13) के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और वे संदेह के लाभ के हकदार हैं। 23. पारित करते समय, हम इसमें जांच की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से गठन से संबंधित, उपयोगी रूप से दोहरा सकते हैं।

आई. पी. सी. की धारा 149 के अर्थ के भीतर गैरकानूनी सभा का, कि अभियुक्त व्यक्तियों में से 2 जो इस मामले में आई. पी. सी. की धारा 147,148,302/149 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए हैं। , चिंताराम (ए-4) और खेमराज (ए-6) ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील नहीं की है और रिकॉर्ड की दी गई स्थिति पर, वे उसी सभा का हिस्सा हैं, जिसने गोविंद सिंह पर हमला किया और उनकी पीट-पीट कर हत्या कर दी। जैसा कि देखा गया, चश्मदीद गवाह पीडब्लू-5 ने चिंताराम (ए-4) को मृतक पर हमला करने वाले अभियुक्त व्यक्तियों में से एक और घटना के समय गवाहों को धमकी देने वाले हमलावरों में से एक के रूप में नामित किया। पीडब्लू-2 संतोष कुमार की गवाही में विचाराधीन घटना की घटना और कुछ हमलावरों द्वारा गवाहों को दी गई धमकियों की विधिवत पुष्टि की गई है। इसके अलावा, पीडब्लू-2 संतोष कुमार और पीडब्लू-5 प्रह्लाद यादव ने विशेष रूप से आरोपी का नाम लिया है।

चिंताराम (ए-4) मृतक को पैरों से खींचने वाले व्यक्तियों में से एक के रूप में। यह तथ्य कि मृतक को वास्तव में पैरों से घसीटा गया था, पीडब्लू-3 भुवन और पीडब्लू-4 राजेश ने भी बताया है। पीडब्लू-20 वी. एस. उर्मालिया, जांच अधिकारी ने इस आरोपी चिंताराम से एक लाठी और बनियान जब्त किया। (ए-4), दोनों में रक्त के धब्बे होते हैं (एक्स के माध्यम से। पी/15)। जहां तक खेमराज (ए-6) का संबंध है, यह देखा गया है कि गोविंद सिंह की पीट-पीटकर हत्या करने वाली सभा में उनकी भागीदारी कम से कम 2 गवाहों, पीडब्लू-5 प्रह्लाद यादव और पीडब्लू-9 हीराधर द्वारा बताई गई है। जैसा कि देखा गया है, पीडब्लू-9 हीराधर को अभियोजन मामले का पूरी तरह से समर्थन नहीं करने के लिए शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था, लेकिन

उन्होंने विशेष रूप से कहा कि इस आरोपी खेमराज (ए-6) और अन्य आरोपी-अपीलार्थी दुलेश्वर (ए-2) ने मृतक गोविंद पर हमला किया।

सिंह। यह भी देखा गया है कि जांच अधिकारी, पीडब्लू-20 वी. एस. उर्मालिया ने इस आरोपी खेमराज (ए-6) से एक लाठी और एक शर्ट जब्त की, जिसमें वह ले जा रहा था।

रक्त-धब्बे (वीडियो एक्स। पी/17)। इस प्रकार, अभिलेख की दी गई स्थिति के अनुसार, उक्त अभियुक्त व्यक्ति चिंताराम (ए-4) और खेमराज (ए-6) भी उसी सभा का हिस्सा हैं जिस पर हमला किया गया और पिटाई की गई।

गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई।

24. निष्कर्ष निकालने से पहले, हम आई. पी. सी. की धारा 304 के भाग I के तहत दोषसिद्धि को परिवर्तित करने के विकल्प में की गई प्रस्तुतियों पर भी विचार कर सकते हैं। हमारे विचार में, इस संबंध में प्रस्तुतियाँ सारहीन हैं और केवल अस्वीकार की जा सकती हैं। जैसा कि देखा गया है, यह द्वंद्वयुद्ध और ए. एन. आर. है।

यह स्पष्ट है कि मृतक गोविंद सिंह को हमलावरों की एक बड़ी सभा द्वारा बेरहमी से काले और नीले रंग से पीटा गया था और उन्हें अपने पूरे शरीर पर व्यापक चोटें आईं, जिनमें चोटें, घाव और विभिन्न हड्डियों और पसलियों के कई फ्रैक्चर शामिल थे और सदमे के कारण उनकी मृत्यु हो गई। यकृत और पसलियों का टूटना। सभा द्वारा मृतक को पैरों से खींचने और बेरहमी से पीटने के साथ अपने उद्देश्य के निष्पादन का तरीका, जिसमें लाठी जैसे कुंद हथियारों का कई बार उपयोग शामिल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह की सभा बनाने वाले हमलावरों का इरादा केवल मौत का कारण बनना था और कृत्य केवल उसी इरादे से किए गए थे। तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, वर्तमान को गैर-इरादतन हत्या का मामला मानने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है, न कि हत्या। हमारे विचार में, धारा 147,148 और आई. डी. 1 के तहत अपराधों के लिए अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि, जिनके खिलाफ अभियोजन का मामला उचित संदेह से परे स्थापित किया गया है, अपवादात्मक बनी हुई है।

निष्कर्ष

25. यहाँ ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, हम पाते हैं कि

अभियुक्त-अपीलार्थी भारोसराम (ए-1), दुलेश्वर (ए-2), भंजन सिंह (ए-5), केशव प्रसाद (ए-7) और नंद कुमार (ए-12) को धारा के तहत अपराधों के लिए अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ दोषी ठहराया गया है।

147,148 , 302/149 ; और इन अभियुक्तों द्वारा दायर अपील-अपीलकर्ता खारिज किए जाने के योग्य हैं। हालाँकि, हमारे विचार में, अभियोजन पक्ष अभियुक्तों-अपीलार्थी खेमुरम (ए-8) और लखन (ए-13) के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, जो संदेह के लाभ पर बरी होने के योग्य हैं। 26. तदनुसार, आपराधिक अपील सं। 1813 2017 और 2017 के 1815 को खारिज कर दिया गया है जबकि 2017 की आपराधिक अपील संख्या 1814 को अनुमति दी गई है।

आंशिक रूप से और अभियुक्त-अपीलार्थी खेमुरम (ए-8) और लखन (ए-13) के संबंध में विवादित निर्णयों को अलग कर दिया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

कल्पना के. त्रिपाठी